

जिन वस्तुओं का उपभोग किये बिना साधारणतया जीवन-निवाहि नहीं हो सकता, उन चीजों को मर्यादा में रख कर उनका परिमाण करके शेष चीजों के उपभोग परिभोगका त्याग करना चाहिये अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित करलेनेसे जीवन बहुत होता है। जीवन में उपभोग्य परिभोग्य पदार्थ सम्बन्धी अशान्ति नहीं रहती। इसके सिवा, 'जो अपना खर्च कम रखता है उसे कमाना भी कम पड़ता है और जो आधिक खर्च रखता है उसे कमाना भी आधिक पड़ता है' इस लोकोक्ति के अनुसार अपना रहन सहन और खान पान सादा रखने पर खर्चीले रहन सहन एवं खान पान के लिए आधिक कमाना पड़ेगा, जिससे जीवन में अशान्ति रहना स्वभाविक है। जिनका जीवन खाने पीने तथा ओढ़ने आदि के लिए कमाने में ही लगा रहता है उसके द्वारा धर्म कार्य कब होंगे। ऐसे व्यक्ति का चित आवश्यकता पूर्ति की चिन्ता से आस्थिर रहता है, और जिनका चित ही आस्थिर है उसके द्वारा आत्म कल्याण और परोपकार के कार्य कैसे हो सकते हैं।


व्याख्यान सार-संग्रह पुस्तकमाला का १६ वा पुस्ति ए ह

श्रीमद्भजनाचार्य

पूज्य श्रो जवाहिरलालजी महाराज
के

व्याख्यानों में से:—


श्रावक के तीन गुण व्रत



सम्पादक और प्रकाशक—

श्री साधुमार्मा जैन
पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय
का

हितेच्छु श्रावक मण्डल,
रत्नाम (मध्यभारत)



वि० संवत् २००६	मृत्यु	त्रीय संस्करण
वीर संवत् २४७६		
ईस्वी सन् १५५०		१०००

प्रकाशक—
 श्री साधुमार्गी जैन
 पूज्य श्री हुकमीचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय
 का
हितेच्छु श्रावक मण्डल
 रत्लाम (मध्य भारत)




आखिल भारतीय
 श्री श्रेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस ऑफिस
 वम्बड़ द्वारा
प्रमाणित



मुद्रक—
 सुरजमल जैन
 अध्यक्ष—
 श्री जवेनी प्रिंटिंग प्रेस, रत्लाम.

प्रासंगिक दो शब्द



श्रीमउज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ जवाहिरलालजी महाराज साहब के फरमाये हुवे, मंडल से संग्रहित व्याख्यानों में से “श्रावक के तीन गुणत्रय” नामक यह पुस्तक “व्याख्यानसार संग्रह पुस्तक माला” का सोलहवां पुष्प आपके सन्मुख उपस्थित करते हुए हमें परम हर्ष होता है। इससे पहले व्याख्यानों में से सम्पादित कराकर पंदरह पुष्प यह मंडल प्रकाशित कर चुके हैं। जिन्हें जैन एवं जैनेतर जनता ने बहुत ही आदेर का दृष्टि से देखा और अपनाया है। इससे मंडल उत्साहपूर्वक यह पुस्तक सम्पादन कराकं आपके करकमलों में पहुंचा रहा है। मंडल से प्रकाशित साहित्य के मुख्य दो विभाग हैं—(१) कथा विभाग और (२) तत्त्वविभाग। यह पुस्तक तत्त्वविभाग की है। तत्त्वविभाग ऐसा विषय है कि इसका जितना विवेचन किया जाय हो सकता है। इन व्रतों का संसार की शान्ति से अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, जो विषय-प्रवेश से एवं व्रतों के स्वरूप से आपको अनुभव होजायगा।

नियमानुसार यह पुस्तक आस्तिल भारतवर्षीय श्री श्रेष्ठ स्थान कॉनफ्रन्श ऑफिस बर्बादी द्वारा-साहित्य निरीक्षक समिति से

प्राप्तिकाल-प्रकाशन


ध्येय दुर्लभ विशेष

प्रमाणित कराली गई है । किर भी यह स्पष्ट करदेना आवश्यक समझते हैं कि श्रीमर्जनाषार्य पूज्य महाराज साहब जो व्याख्यान फरमाते थे वे साधुभाषा में ही होते थे किरभी सग्रहक और सम्पादक द्वारा भाषा एवं भाव उलट जाने की भूल होगई हो तो उस भूल के उत्तरदायी बेही है, पूज्य श्री का कोई दोष नहीं है । जो महाशय ऐसी भूल हमें शुद्ध भावों से दिग्दर्शन घरांवेंगे उनका हम आभार मानेंगे और आगामी संस्करण में उस त्रुटी को सुधारने का प्रयत्न करेंगे । उक्त पुरतक का प्रथम संस्करण स्टॉक में न रहने से इसबार इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं इस में जो त्रुटिये द्रष्टि में आयी वे सुधार दीगई हैं किर भी द्रष्टि दोष से रहगई हों तो सुधारने की क्रपा करे ।

इस समय परिस्थिति का विषमता से छपाई व कागज का खर्च अधिक बढ़ा है जिससे इस की किमत ₹. ।=) पढ़नी है यह लागत मात्र ही है परन्तु सर्व साधारण लाभ ले सकें इसके लिये किमत सिर्फ ।=) ही रखी जाती है । इत्यल्लम् ।

रत्नाम पोष सुदी पूर्णिमा सं० २००६ वि.	भवद्वय— बालचंद्र श्रीश्रीमाल, हीरालाल नांदेचा वाईस प्रेसिडेण्ट श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्रीहुक्मीचंद्रजी महाराज की सम्प्रदाय का हितेच्छु आवक मंडल, रत्नाम (मालवा)
---	--

विषय सूची



विषय		पृष्ठ
विषय प्रवेश १—७
दिक् परिमाण व्रत ८—१७
दिक् परिमाण व्रत के अतिचार १८—२१
उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत २२—५५
उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत के अतिचार ५६—७८
अनर्थ दण्ड विरमण व्रत ७९—९८
अनर्थ दण्ड विरमण व्रत के अतिचार ९९—१०१



विपय प्रवेश

आत्मा, अनादि काल से सुखमिलाधी होकर सुख की
स्वोज में इतम्ततः परिमण करता हुआ स्वर्ग
मर्त्य और पाताल के सभी स्थानों को-एक बार नहीं किन्तु अलेक
बार-स्पर्श कर आया, और जिन्हे आत्मा सुख का साधन मान
रहा है, उन रक्षों, आभूपणों, महल एवं अप्सराओं का स्वामी बन
कर उनका उपेभोग भी कर आया, फिर भी इस आत्मां को कहीं
भी सुख नहीं मिला, किन्तु वे सुख के साधन-भोगे हुए
भोग दुखःघड़ने के कारण ही हुए तथा हो रहे हैं। कवि टीक ही
कहता है, कि—

न संसारोत्पन्नं चारितं मनुषश्यामि कुशलं ।
विपानः पण्यानां जनयनि भवं मे विमुशतः ॥

महाङ्गिः पुरयोर्धै शिरं चर पारिग्रीहीताश्च विषया ।

महान्तो जायन्ते व्यसनामिवदातुं विषयेणाम् ॥

[भर्तृहरि—वैराग्य शतक]

अथीत-संसार से उत्पन्न चरित्रों पर जब द्वाष्टिपात किया जाता है, तो उनमे कुशलता नहीं दिखाई देती, आपितुं पुरय-फल स्वरूप स्वगारीदि सम्यक्ति भयावह ही दीख पड़ती है। अथीत् पुरय क्षय होने पर स्वगारीदि से भी पतन होता है, और पुरय-समूह के प्रभाव से बहुत दिनों तक जिस सामग्री का संचय किया है, वह विषय-सामग्री अन्त समय में विषयासक्तों के लिए सन्ताप देने वाली बन जाती है, तथा आत्मा आर्ति राँड्र ध्यान के छोरण दुर्गति का पाथिक हो जाता है।

जैन शास्त्र भी यही कहते हैं, कि पहले तो विषय सुख के साधनों को प्राप्त करने में दुःख, यदि प्राप्त हो गये तो रक्षण का दुःख, पश्चात् उन्हे भोगते समय अनृति अथवा इन साधनों को कोई छीन न ले इस बात की चिन्ता का दुःख और जब वे साधन छूट जाते हैं, तब विद्योग का दुःख। इस तरह विषय-सुख के साधनों में दुःख बता कर ज्ञानी महापुरुष कहते हैं, कि हे आत्मा ! यदि तुझे सच्चे और वास्तविकं सुख की चाह है, तो जिनमें तूने सुख मान रखा है, उन विषय-सुख के साधनों से अपना ममत्व हटा; उनकी ओर से त्याग-भावना स्वीकार कर।

जब तेरे में ऐसी त्याग-भावना होगी, और तू विषय-सुख के साधनों को त्यागता जावेगा, तब ही तुझे सुख का अनुभव होगा।

उपर बताई गई त्याग-भावना को आचरण में लाने के लिए शास्त्रकारों ने दो मार्ग का विधान किया है। पहला मार्ग है सांसारिक पदार्थों, अथवा वास्तविक सुखं प्राप्त होने के बाधक कारणों का सर्वथा (पूर्ण) त्याग और दूसरा मार्ग है आंशिक अथवा देश से त्याग। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कि उनने जिनको हेय मान लिया है उन काङ्गों या पदार्थों को अविलम्ब पूरी तरह त्याग देते हैं, इस तरह का त्याग करनेवाले, महाब्रती वहे जाते हैं। ऐसा लगा वे ही कर सकते हैं, जिनका निश्चय में तो प्रत्याख्यानावरणीय क्रोधादि कपाय का क्षयोपशम हो गया है, और व्यवहार से जिन्हें सासारिक पदार्थों की और से उपरांति प्रणा अथवा वैराग्य भावना हो गई है; तथा जो असंयमपूर्ण जीवन से निकल कर संयमपूर्ण जीवन विताना उचित एवं आवश्यक मानते हैं। किन्तु जो लोग इस सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, जिनके प्रत्याख्यानावरणीय कपाय का क्षयोपशम नहीं हुआ है, अथवा सांसारिक कार्य व्यवहार एवं विषय-भोग के साधनों से जिनका म्रमत्व पूरी तरह नहीं हटा है, अथवा जो इन सब को सर्वथा त्यागने में असमर्थ हैं, किर भी जो इनके त्याग वा मार्ग अपनाकर उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इन सब को आंशिक अथवा देश से

त्यागते हैं। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रकारों ने पाँच अणुत्रत का विधान किया है। यद्यपि ऐसे देशत्यागियों का भी ध्येय तो वही, रहता है, जो पूरी त्यागियों का होता है, परन्तु देश से त्याग करनेवाले लोग उस ध्येय को और धीरे धीरे बढ़ा चाहते हैं। शास्त्रकारों द्वारा बताये गये पाँच अणुत्रत का पालन गृहस्थावस्था से भी किया जा सकता है और इन ब्रतों का पालने वाले लोग ब्रतधारी श्रावक कहे जाते हैं।

यद्यपि महाब्रतों न होनेवालों के लिए शास्त्र में पाँच अणुत्रत का विधान है और गृहस्थ श्रावक उन अणुत्रतों को स्वीकार भी करते हैं, परन्तु गृहस्थावस्था में अनेक ऐसी बाधाएँ उपस्थित होती हैं, अथवा ऐसे आकर्षक कारण हैं, कि जिससे स्वीकृत अणुत्रतों का पालन करने में कठिनाइयाँ जान पड़ने लगती हैं। अतः ऐसे अणुत्रतवारियों को उन कठिनाइयों से बचाने के लिए शास्त्रकारों ने तीन गुणत्रत और चार शिक्षा ब्रत बताये। तीन गुणत्रत पाँच अणुत्रतों में शाकि—संचार करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, उनके पालन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं और मूल अणुत्रतों को निर्मिल रखते हैं।

अणुत्रतों की सहायता के लिए बताये गये तीन गुण ब्रतों में मुख्यतः वृत्ति संकोच को ही विशेषता दी गई है। जब तक गमनागमन कम न किया जावे, उपभोग-परिभोग की मर्यादा न

की जावे, आजीविका के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति के विषय में आचित्य अनाचित्य का विवेक करके अनुचित प्रवृत्ति न त्याग दी जावे, तब तक धारण किये हुए अणुवतों का पालन करने में कठिनाइयों का उपस्थित होना स्वभाविक ही है। इसी तरह गुण व्रतों की रक्षा के लिए चार शिक्षा व्रतों का जो विधान किया गया है, उन शिक्षा व्रतों को स्वीकार करना भी आवश्यक है। क्योंकि गुणव्रतों में स्वीकृत व्रतों संकोच को सुदृढ़ बनाने वाले शिक्षाव्रत ही हैं। गुणव्रत एवं शिक्षा व्रत मूल अणुवत के ग्राण स्वरूप हैं। जिस तरह शरीर तभी तक उपयोगी एवं कार्य साधक है, जब तक कि उसमें प्राण है, उसी तरह गुणव्रत एवं शिक्षाव्रत के होने पर ही मूल अणुवत भी उपयोगी एवं कार्य साधक हो सकते हैं। इस बात को दृष्टि में रख कर शास्त्रकारों ने श्रावक के बाहर व्रतों को मूलव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत इन तीन भागों में विभक्त कर दिया है। श्रावक के मूल पाँच व्रत स्थूल आहिंसा, स्थूल सत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण हैं। इन पाँच मूल व्रतों के पश्चात् दिक् परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण और अनर्थदण्ड विरमण ये तीन गुण व्रत हैं तथा सामायिक, देशावगासिक, पौष्ट्रोपवास एवं अर्तिथ-संविभाग ये चार शिक्षा व्रत हैं।

दिक् परिमाण व्रत, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत और

अनर्थ दण्ड विरमण व्रत, ये तीनों गुण व्रत हैं, अर्थात् जिस भावना से अत्रत का त्याग किया जाता है। उस त्याग की भावना को आचरणमें लाने के लिए वृत्ति का संकोच करनेवाले ये ही तीन व्रत हैं। इनका धारण एवं पालन करने में बहुत ही सावधानी तथा विवेक की आवश्यकता है। यदि इन व्रतों को निभाने के लिए वृत्ति का संकोच न किया गया और विवेक से काम न लिया गया तो गुण के बदले अवगुण पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए त्याग की भावना तो बढ़ी नहीं है, पुद्गलों पर से ममत्व हटा नहीं है, इन्द्रियों को प्रसन्नता देनेवाली अच्छी अच्छी वस्तुएँ प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, किर भी अमुक आरम्भ-समारम्भ अपने हाथ से करने का त्याग कर लें और दूसरे व्यवसाया व्यक्ति द्वारा तयार किया हुआ पदार्थ लेकर भोग ले तथा यह मानें कि हमने आरम्भ-समारम्भ का पाप नहीं किया है, किन्तु हमने सीधी वस्तु भोगी इसलिये हमारा पाप टल गया है, हम पाप से बचे हुए हैं, तो यह पाप से बचना नहीं है, आपत्ति आत्म-बंचना है। पाप से बचने का यह मार्ग नहीं है। यह मार्ग गुण के बदले अवगुण उत्पन्न करनेवाला है। पाप से बचने के लिए तो अपनी लालसा सीमित करके त्याग-भावना को ही महत्व देना

चाहिए। यदि ऐसा करने की क्षमता अभी नहीं है तो अपनी आवश्यकताओं को सादर्गा और विवेकपूर्वक पूरी करता हुआ ऐसी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशालि रहना तो ठीक है; परन्तु वास्तविकता को दूसरा रूप देकर गुण के बदले अवगुण पैदा करना उचित नहीं है।

मतलब यह है कि गुणव्रतों को धारण एवं पालन करने में साधारणी और विवेक से काम लेना चाहिए। तभी ये गुण व्रत, मूल व्रतों में गुण उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं। तीनों गुण व्रत में किस तरह की मर्यादा करनी पड़ती है, तीनों का रूप क्या है, और इन गुण व्रतों से किस किस मूल व्रत में क्या क्या विशेषता आती है, आदि वातों के लिए तीनों व्रतों के विपर्य में आगे पृथक् पृथक् विचार किया जाता है।



दिक् पारिमाण व्रत

तीन गुण व्रतों में से प्रथम गुण व्रत और श्रावक के बारह व्रतों में से छठ्ठे व्रत का नाम दिक् पारिमाण व्रत है। दिक् का अर्थ है दिशा। जैन शास्त्रानुसार दिशाएँ तीन हैं यथा—
दिसिच्चवे तिविहे पणते तंजहा
उड़डं अहेये तीरिये।

अर्थात्—दिक्व्रत तीन तरह का है, ऊर्ध्व दिक्व्रत, अधः दिक्व्रत और तिर्यक दिक्व्रत।

अपने से ऊपर की ओर को ऊर्ध्व दिशा कहते हैं, नीचे की ओर को अध- दिशा कहते हैं और इन दीनों के बीच की ओर को तिर्यक दिशा कहते हैं। तिर्यक दिशा के पूर्व, पश्चिम उत्तर और दक्षिण ये चार भेद हैं, जो चार दिशा के नाम स प्रसिद्ध हैं। इन चार दिशा के सिवा चार अदिशों भी हैं, जिनके नाम इशान,

आगनेय, नैऋत्य और वायव्य हैं। जिस ओर सूर्य निकलता है, उस ओर मुँह करके खड़ा रहने पर सामने की ओर पूर्व दिशा होगी, पीठ को ओर पश्चिम दिशा होगी, बाये हाथ की ओर उत्तर और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी। इसी तरह सिर की ओर ऊर्ध्व दिशा तथा पैर के नीचे की ओर अधः (नीची) दिशा होगी। उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। पूर्व तथा दक्षिण दिशा के बीच के कोण को आगनेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के कोण को नैऋत्य कोण तथा पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच के कोण को वायव्य कोण कहा जाता है। ये चारों कोण विदिशा कहलाते हैं और विदिशाओं का समावेश दिशाओं में भी हो जाता है।

इन वताई गई दिशाओं में गमनागमन करने (जाने आने) के सम्बन्ध में जो मर्यादा की जाती है, जो यह निश्चय किया जाता है, कि मैं अमुक स्थान से अमुक दिशा में अथवा सब दिशाओं में इतनी दूर से अधिक न जाऊंगा। उस मर्यादा या निश्चय को दिक्परिमाण व्रत कहते हैं।

अब यह देखते हैं कि दिक्परिमाण व्रत क्यों स्वीकार किया जाता है, और दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने से श्रावकों को क्या लाभ होता है। श्रावक लोग जो पांच अणुव्रत-जो श्रावकों के मूल व्रत-हैं-स्वीकार करते हैं। उन व्रतों पर रितर रह कर

आगे बढ़ना श्रावक का लक्ष्यविन्दु होता है; परन्तु इसके लिए चित्त की शान्ति आवश्यक है। चित्त की शान्ति के बिना ध्येय के मार्ग पर स्थिरही नहीं रह सकता, तो आगे तो बढ़ ही कैसे सकता है! और चित्त-शान्ति का उपाय है वृत्ति का संकोच। जब तक वृत्ति का संकोच नहीं होता, तब तक चित्त में चंचलता रहती ही है। जिसकी वृत्ति संकुचित नहीं है, वह जब किसी स्थान के विषय में काँइ बात सुनता है, तब उसे वह स्थान देखने, उस स्थान विषयक अनुभव प्राप्त करने और वहां के पदार्थों को भोगने का विचार हो ही जाता है। असंकुचित वृज्जिवाले मनुष्य का यह स्वभाव ही होता है। इस चंचलता के कारण गमनागमन होना भी रवाभाविक है और तब त्याग-भावना छूट कर विलासिता अपना आधिपत्य जमा लेती है। इसलिए व्रतधारी श्रावक को, अपनी साधारण आवश्यकताएँ दृष्टि में रख कर दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करने रूप दिक्कपरिमाण व्रत आवश्य स्वीकार करना चाहिए।

अब यह देखते हैं कि दिक् परिमाण व्रत धारण करने पर श्रावक के मूल व्रतों में किस प्रकार क्या विशेषता आती है, अथवा क्या लाभ होता है। इसके लिए पहले श्रावक के स्थूल आहिंसा व्रत के सम्बन्ध में विचार करते हैं। अपने सांसारिक जीवन को दृष्टि में रख कर श्रावक स्थूल आहिंसा व्रत ही स्वीकार करता है। सूक्ष्म आहिंसाव्रत का पालन करना श्रावक के लिए उस समय तक सम्भव

नहीं, जब तक कि वह गाहैस्थ्य जीवन में है। इसलिए वह स्थूल आहिंसा व्रत ही स्वीकार करता है। स्थूल आहिंसा व्रत का व्यापा रूप है, आदि वातों का वर्णन आहिंसा व्रत की व्याख्या करते हुए किया जा चुका है, इसलिये इस स्थान पर इस विषयक वर्णन, अनावश्यक है। यहां तो यह बताना है कि स्थूल आहिंसा व्रत स्वीकार और स्थूल हिंसा का त्याग करते हुए श्रावक लोग जिस आरम्भजा हिंसा का आगार रखते हैं, वह आरम्भजा हिंसा का आगार सभी स्थानों के लिए खुला हुआ है। इस आगार की कोई सीमा नहीं की है, परन्तु दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस आगार को भी सीमा हो जाती है। अर्थात् स्थूल आहिंसा व्रत के आगार में जो आरम्भजा हिंसा रखी गई है, वह आरम्भजा हिंसा दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर असीम नहीं रहती, किन्तु केवल उत्तरेही स्थान के लिए रह जाती है, जितना स्थान दिक्परिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखा गया है। दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते समय गमनागमन के लिए रखी गई सीमा के बाहर को आरम्भजा हिंसा भी छूट जाती है और इस प्रकार दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक के स्वीकृत आहिंसाव्रत का ज्ञेत्र विस्तृत तथा आगार में रखी गई आरम्भजा हिंसा का ज्ञेत्र पर्याप्ति हो जाता है।

श्रावक का दूसरा मूलव्रत स्पृल मत्स्य है। इस व्रत का रूप भी

पहले बताया जा चुका है। इसे व्रत को स्वीकार करनेवाला श्रावक स्थूल भूठ का तो सभी क्षेत्र के लिए त्याग करता है, परन्तु गृहस्थावरथा के कारण वह जिस सूक्ष्म भूठ का त्याग नहीं कर सका है, वह सूक्ष्म भूठ सभी क्षेत्रके लिए खुला हुआ है। आगर में रहे हुए सूक्ष्म भूठ के विषय में क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं है, कि इस क्षेत्र के बाहर मैं सूक्ष्म भूठ भी न बोलूँगा। दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस विषय की मर्यादा हो जाती है अर्थात् जो सूक्ष्म भूठ नहीं त्यागा गया है, वह सूक्ष्म भूठ भी केवल उसी क्षेत्र के लिए शेष रह जाता है, जो क्षेत्र गमनागमन के लिए दिक्परिमाण व्रत में रखा गया है। उसके सिवा शेष क्षेत्र में जाकर सूक्ष्म भूठ बोलने का त्याग हो जाता है।

श्रावक का तीसरा मूलव्रत स्थूल चोरी से निवृत होना है। श्रावक, स्थूल चोरी का त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए करता है, परन्तु सूक्ष्म चोरी सभी क्षेत्र के लिए खुली हुई है। दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर वह सूक्ष्म चोरी भी सीमित होकर केवल उतने ही क्षेत्र के लिए रह जाती है, जितना क्षेत्र दिक्परिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखा गया है।

श्रावक का चौथा मूलव्रत स्वदारसन्तोष और परदार विवर्जन है। श्रावक यह व्रत भी स्थूल रूप से ही स्वीकार करता है। क्योंकि गृहस्थावास में रहते हुए श्रावक परदार का त्याग भी स्थूल रूप

से ही कर सकता है, सर्वथा त्रिकरण त्रियोग से नहीं कर सकता। उसे अपनी सन्तान को अनीति-मार्ग से बचाने के लिए नीति-मार्ग में जोड़ना ही पड़ता है। श्रावक पर-स्त्री का जो त्याग करता है, वह त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए है, परन्तु स्व-स्त्री का जो त्याग नहीं कर सका है, वह स्वस्त्री का सम्बन्ध सभी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है। दिक्षपरिमाण व्रत स्वकार करने पर स्व-स्त्री का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है। यानी मर्यादित क्षेत्र के बाहर जाकर स्वदार के साथ न तो दाम्पत्य व्यवहार कर सकता, न किसी को अपनी पत्नी ही बना सकता है। इस प्रकार दिक्षपरिमाण व्रत स्वकार करने पर इस चौथे व्रत में भी प्रशस्तता आती है।

श्रावक का पोचबां मूलव्रत परियहपरिमाण है। दिक्षपरिमाण व्रत स्वकार करने पर इस व्रत में भी प्रशस्तता आ जाती है। क्योंकि दिक्षपरिमाण व्रत स्वकार करने पर श्रावक मर्यादित परियह का रक्षण-अथवा उसकी पूर्ति उसी क्षेत्र में रहकर कर सकता है जो क्षेत्र उसने दिक्षपरिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखी है। उस क्षेत्र के बाहर जाकर न तो मर्यादित परियह की रक्षा ही कर सकता है, न उसकी पूर्ति के लिए व्यवसाय ही पर भक्ता है। इनके निवा जव-तक दिक्षपरिमाण द्वारा क्षेत्र की सीमा नहीं की जाती। तब तक तृष्णा का क्षेत्र भी सीमित नहीं होता।

और क्षेत्र सीमित न होने से तृप्णा बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक का पाँचवाँ मूलव्रत मी प्रशस्त हो जाता है।

दिक्परिमाण व्रत का श्रावक के पाँचों मूलव्रत पर कैसा सुप्रभाव पड़ता है, यह बताया जा चुका है। अब यह देखते हैं कि दिक्परिमाण व्रत स्वीकार किस तरह किया जाता है। दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने के लिए किसी एक स्थान को केन्द्र बना कर उस स्थान से प्रत्येक दिशा के लिए यह मर्यादा करनी चाहिए, कि मैं अमुक दिशा में इस स्थान से इतनी दूर से अधिक न जाऊँगा। उधर्व दिशा के लिए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए, कि मैं अमुक केन्द्र स्थान से ऊपर की ओर इतनी दूर से अधिक न जाऊँगा। वृक्ष पहाड़ घर महल पर अथवा हवाई जहाज द्वारा या और किसी तरह ऊपर की ओर इतनी दूर से अधिक दूर न जाऊँगा। अबः दिशा के लिए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं केन्द्र स्थल से नीचे की ओर जल, स्थल, खदान, भूमिरूप आदि में इतनी दूर से अविक नीचा न जाऊँगा। तिर्यक् दिशा पूर्व पाश्चिम उत्तर दक्षिण और ईशान, आरनेय, नैऋत्य तथा वायव्य के लिए भी एसी ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं पूर्वीदि अमुक दिशा और ईशानादि अमुक विदिशा में केन्द्र स्थल से इतनी दूर से अधिक न जाऊँगा। इस तरह अपने गमनागमन के क्षेत्र

को सीमित बनाने की प्रतिज्ञा का नाम दिक्परिमाण व्रत है, जो ऊर वताइ गई रीति से धारण किया जाता है।

दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करनेवाले के लिए यह प्रतिवन्ध नहीं है, कि किसी स्थल विशेष को ही केन्द्र बनाया जावे और वही से गमनागमन विषयक मर्यादा की जावे। यह बात व्रत स्वीकार करनेवाले की इच्छा और सुविधा पर निर्भर है। व्रत स्वीकार करनेवाला यदि चाहे, तो जहाँ व्रत स्वीकार कर रहा है उसी स्थान को केन्द्र मान सकता है, जहाँ रहता है उस स्थान को केन्द्र मान सकता है, अथवा किसी दूसरे स्थान विशेष को भी केन्द्र मान सकता है। इसी प्रकार वह इस बात के लिए भी रवतन्त्र है, कि किसी दिशा में आवागमन का छेत्र कह रहे और किसी में आधिक।

गमनागमन का परिमाण कोस, मील, हाथ, फुट, हंड के तरह भी कर सकता है और इस तरह भी कर सकता है, कि नै छन्द दिशा में असुक देश, प्रदेश, नगर, प्राम. पहाड़, नदी, नै छन्द ने आगे नहीं जाऊँगा। अथवा इस तरह नै छन्द सकता है, कि मैं माने हुए असुक केन्द्र स्थल में असुक दिशा में इन्हें दिख या इन्हें समय में पैदल अथवा अनुक बढ़ने में जिन्हीं दूर तक जा सकू उनसे आगे नहीं जाऊँगा। इस प्रबन्ध जिमक्की जौसी इच्छा हो, पहाड़न तरह में दिक्परिमाण व्रत स्वीकार कर सकता है, लेकिं

०

यह व्रत स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति गमनागमन की सीमा जितनी भी कम रखेगा, उसका व्रत उतना ही आधिक प्रशंसन्न होगा और उसके मूल व्रतों को भी आधिक लाभ पहुँचेगा। इस लिए जहाँ तक सम्भव हो, दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते हुए मर्यादा में गमनागमन का क्षेत्र कम ही रखना अच्छा है।

दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते हुए, अपनी स्थिति, आवश्यकता तथा शक्ति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए, और जीवन-निवार्ह के लिए जितना क्षेत्र गमनागमन के लिए रखना आवश्यक है, उतने क्षेत्र के सिवा शेष क्षेत्र में गमन गमन करने का त्याग करना चाहिए। केवल लालसावश गमनागमन के लिए आधिक क्षेत्र सीमा में रखना उचित नहीं है।

दिक्परिमाण व्रत जीवन भर के लिए ही स्वीकार किया जाता है। केवल अहो रात्री-या कम समय के लिए की गई गमनागमन की मर्यादा की गणना दुसरे व्रत में होगी।

दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करनेवाले को वृत्ति का संकोच और समस्त का त्याग करना पड़ता है। चिना ऐसा किये इस व्रत का रक्षा नहीं हो सकती। इस व्रत की रक्षा के लिए समय पर व्रत धारी को हानि भी सहन करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए किसी दिक्परिमाण व्रतधारी का कोई वस्त्र या आभूषण मनुष्य पर या पक्षी या देव उठा ले गया अथवा पवन से उड़ गया। वह

वस्त्र या आभूषण ऐसे स्थान पर रखा या पड़ा हुआ है, जो उस व्रतधारी द्वारा मयार्दी में रखे गये क्षेत्र से बाहर है। यद्यपि वह व्रतधारी श्रावक अपने उस वस्त्र या आभूषण को पड़ा या रखा हुआ देख रहा है, फिर भी वह उस वस्त्र या आभूषण को लाने के लिए नहीं जा सकता। क्योंकि जिस स्थान पर वस्त्र या आभूषण है वह स्थान उस व्रतधारी द्वारा मयार्दित क्षेत्र से बाहर है। यह बात दूसरी है, कि वह वस्त्र या आभूषण जिस तरह से गया था उसी तरह, अथवा किसी दूसरी तरह मयार्दित क्षेत्र में आ जावे और वह व्रतधारी श्रावक अपनी उस चीज को ले ले, लोकिन उस चीज को लाने के लिए वह अपनी मयार्दा के क्षेत्र में बाहर कढ़ापि नहीं जा सकता और यदि जाता है, तो वह अपना व्रत तोड़ता है। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने में कठिनाइयों भी सहनी पड़ती है। परन्तु जो उन कठिनाइयों को सहता है, जो अपनी वृत्ति का संकोच करता है और जो ममत्व का त्याग करता है, वही इस व्रत का पालन करने में समर्थ हो सकता है। साथ ही यह भी है कि जो इस व्रत का पूरी तरह पालन करता है। उसकी वृत्ति भी संकुचित होती जाती है तथा उस से ममत्व-त्याग की क्षमता भी बढ़ती जावेगी।

दिक् परिभाण व्रत के अतिचार

२८ श्वर्धकर भगवान ने दिक्परिमाण व्रत के पाँच अतिचार बताए हैं, जो जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। प्रश्न होता है कि अतिचार कहते किसे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि जो त्याग किया जाता है, उस त्याग का पालन करते हुए प्रसङ्ग विशेष से परिभाण की धाराओं में परिवर्तन होकर जो स्वलप्ना होती है, उसको सामान्य और विशेष मेद के कारण अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चार भावोंमें विभक्त किया गया है। किसी भी त्यागे हुए कार्य या पदार्थ के विषयमें परिणामोंमें मलिनता आना और उस कार्य या पदार्थ को अपनाने का मन में संकल्प करना, यह अतिक्रम है। उस मन के संकल्प को मूर्त्ति स्वरूप देने का प्रयत्न करना-सामग्री जुटाना आदि-व्यतिक्रम कहा जाता है। इस तरह के प्रयत्न में

मूर्छित होना और ऐसा कार्य करना कि जिससे व्रत का भंग समर्पि हो जाय, अतिचार कहलाता है। और उस त्यागे हुए कार्य को कर डालना, अथवा त्यागे हुए पदार्थ को स्वीकार कर लेना तथा इस तरह व्रत भंग कर डालना, अनाचार है। अतिचार की शुद्धि तो प्राप्तश्चित्त लेने एवं पुनः व्रत रखीकार करने से ही होती है। लेकिन अनाचार, आतिचार के पश्चात् होता है, इसलिए भगवान् ने अतिचार का स्तु वता कर व्रतधारी को इस बात की नन्दधानी दी है, कि इन आतिचारों को समझ कर इन से वचने चाहिए, अन्यथा कभी अनाचार होना और व्रत का दृष्ट दृष्ट स्थाभाविक है। भगवान् ने, आनन्द आदि आवक्षो द्वारा दृष्ट करके प्रत्येक व्रत के अतिचार बताये हैं। इस दृष्टदृष्टि-दृष्ट के भी भगवान् ने, पाच अतिचार कहे हैं, तिन्हें दृष्ट दृष्ट दृष्टि-परिमाणातिक्रम. अधः दिशि परिमाणातिक्रम. दृष्ट दृष्ट दृष्टि-णातिक्रम. ज्ञेत्र दृष्टि और स्मृतिभ्रंश हैं; दृष्ट दृष्ट दृष्टि दृष्ट दृष्टि यह आवश्यक है, कि इन आतिचारों को दृष्ट दृष्ट दृष्ट से बचता रहे।

पहला अतिचार ऊर्ध्व दिशि परिमाणातिक्रम है। ऊर्ध्व हिरण्यगमनागमन दरने के लिये ज्ञेत्र मदार्दी में बन्दा है। उसका जान बूझ कर नहीं। किन्तु अतिचार में दृष्टि दृष्टि उत्तरोदय का दृष्टि दिशि परिमाणातिक्रम है।

दूसरा आतिचार अधः दिशि परिमाणातिक्रम है। नीची दिशा के लिए किये गये परिमाण का जान बूझ कर नहीं, किन्तु भूल या असावधानी से उल्लंघन हो जाय, वह अधः दिशि परिमाणातिक्रम है।

तीसरा आतिचार तिर्यक्‌दिशि परिमाणातिक्रम है। तिर्यक्‌दिशा-पूर्व पश्चिम आदि के लिए गमनागमन का जो परिमाण किया है, उस परिमाण का भूल या असावधानी से उल्लंघन करना तिर्यक्‌दिशि परिमाणातिक्रम है।

चौथा आतिचार क्षेत्रवृद्धि है। इस आतिचार का अर्थ यह है, एक दिशा के लिए की गई सीमा को कम करके उस कम की गई सीमा को दूसरी दिशा की सीमा में जोड़ कर दूसरी दिशा की सीमा बढ़ा लेना। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने ब्रत लेते समय पूर्व दिशा में गमनागमन करने की मर्यादा ५० कोस की रखी है परन्तु कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात उसने सोचा, कि मुझे पूर्व दिशा में ५० कोस जाने का काम नहीं पड़ता है और पश्चिम दिशा में मुझे सीमा में रखी गई दूसरी से अधिक जाना है। इसलिए पश्चिम दिशा के लिए रखे गये ५० कोस में कुछ कोस कम करके पश्चिम दिशा की मर्यादा में बढ़ा दूँ। इस तरह सोच कर यदि कोई व्यक्ति अपना मर्यादित क्षेत्र ऊपर बताई गई रीति से बढ़ाता है, तो यह क्षेत्रवृद्धि आतिचार है। यद्यपि ऐसा करने में उसने एक दिशा का क्षेत्र घटा दिया है, फिर भी आतिचार है। क्योंकि

उसको अपना मर्यादित क्षेत्र घटाने का अधिकार तो है, लेकिन दिशा विशेष के नाम पर जो मर्यादा की गई है, उस मर्यादित क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार उसे नहीं है। इस कारण एक ओर का क्षेत्र घटा कर उसके बदले दूसरी ओर का क्षेत्र बढ़ाना, व्रत की अपेक्षा होने के कारण आतिचार है।

पाँचवाँ आतिचार स्मृतिभ्रंश है। क्षेत्र की मर्यादा को भूल कर मर्यादित क्षेत्र से आगे बढ़ जाना, अथवा 'मैं शायद अपनी मर्यादित क्षेत्रकी दूरी तक तो चल चुका होऊँगा' ऐसा विचार होनेके पश्चात् भी निर्णय किये विना आगे बढ़ जाना। स्मृतिभ्रंश आतिचार है।

इन पाँच आतिचारों को समझ कर व्रत की रक्षा के लिए इन आतिचारों से बचते रहना चाहिए। ऐसा करनेवाला व्यक्ति ही, दिक्षपरिमाण व्रत का पूरी तरह पालन कर सकता है और मूल व्रतों में गुण उत्पन्न कर सकता है।



उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत

तीन गुण व्रतों में से दूसरा और श्रावक के बारह व्रतों
में से सातवाँ व्रत उपभोग परिभोग-परिमाणव्रत है।
दिक्परिमाण व्रत धारण करने के षश्चात् इस सातवे व्रत को
धारण करने की क्या आवश्यकता है, यह बताने के लिए कहा
गया है, कि पाँच मूल व्रत धारण करनेवाले श्रावक के लिए, उन
व्रतों की रक्षा एवं उनकी वृद्धि के उद्देश्य से, वृत्ति का संकोच
करना आवश्यक है। वृत्ति का संकोच करने के लिए ही दिक्परि-
माणव्रत स्वीकार किया जाता है, लोकिन इस व्रत के द्वारा मर्यादित
क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदार्थादि से ही निवृति होती
है, मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों का उपभोग-परिभोग उसके
लिए सर्वथा खुला हुआ है। मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के
उपभोग-परिभोग की कोई सीमा मर्यादा नहीं है, जिससे जीवन
अनियामित रहता है और जिसका जीवन अनियामित है, उसके

मूल व्रत भी निर्मल नहीं रह सकते। इस बात को हास्ति में रख कर ही यह सातवाँ व्रत बताया गया है। इस व्रत के स्वीकार करने पर, छँटे व्रत द्वारा मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती है और इस प्रकार वृत्ति का संकोच होता है।

जीवन-निर्वाहि के लिए अथवा शारीरिक सुख के लिए, पदार्थों का सेवन करना उपभोग-परिभोग कहलाता है। जो वस्तु एक ही बार काम में लाई जा सकती है, एक बार काम में आ चुकने के पश्चात् तत्काल या समयान्तर में पुनः काम में नहीं लाई जा सकती, वह चीज उपभोग मानी गई है। ऐसी चीज को काम में लेना उपभोग कहलाता है। उपभोग किसे कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकार कहते हैं—

उपभोगः सङ्कङ्कोगः सच्चासनपानानुलेपनादिनां ।

टीकाकार का कहना है, कि जो एक बार भोगा जा चुकने के पश्चात् फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को भोगना-काम में लेना-उपभोग है। जैसे एकबार जो भोजन खाया जा चुका है, या जो पानी एक बार पिया जा चुका है, वह भोजन पानी फिर खाया पिया नहीं जा सकता। अधिक अंगरच्चनों या विलेपन की जो वस्तु एक बार काम में आ चुकी है, वह फिर काम में नहीं आ सकती। इसी तरह जो जो वस्तु एक बार काम में आ चुकने के पश्चात्

उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत

तीन गुण व्रतों में से दूसरा और श्रावक के बारह व्रतों में से सातवाँ व्रत उपभोग परिभोग-परिमाणव्रत है।

दिक्परिमाण व्रत धारण करने के पश्चात् इस सातवें व्रत को धारण करने की क्या आवश्यकता है, यह बताने के लिए कहा गया है, कि पाँच मूल व्रत धारण करनेवाले श्रावक के लिए, उन व्रतों की रक्षा एवं उनकी वृद्धि के उद्देश्य से, वृत्ति का संकोच करना आवश्यक है। वृत्ति का संकोच करने के लिए ही दिक्परिमाणव्रत स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस व्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एवं वहाँ के पदार्थों से ही निवृति होती है, मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों का उपभोग-परिभोग उसके लिए सर्वथा खुला हुआ है। मर्यादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की कोई सीमा मर्यादा नहीं है, जिससे जीवन अनियामित रहता है और जिसका जीवन अनियामित है, उसके

मूल व्रत भी निर्मल नहीं रह सकते। इस बात को दृष्टि में रख कर ही यह सातवाँ व्रत बताया गया है। इस व्रत के स्वीकार करने पर, छट्टे व्रत द्वारा सर्वादित क्षेत्र में रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की भयांदा हो जाती है और इस प्रकार वृत्ति का संकोच होता है।

जीवन-निवाहि के लिए अथवा शारीरिक सुख के लिए, पदार्थों का सेवन करना उपभोग-परिभोग कहलाता है। जो वस्तु एक ही बार काम में लाई जा सकती है, एक बार काम में आ चुकने के पश्चात् तत्काल या समयान्तर में पुनः काम में नहीं लाई जा सकती, वह चीज उपभोग्य मानी गई है। ऐसी चीज को काम में लेना उपभोग कहलाता है। उपभोग किसे कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकार कहते हैं—

उपभोगः सङ्कङ्घोगः सचासनपानानुलेपनादिनां ।

टीकाकार का कहना है, कि जो एक बार भोगा जा चुकने के पश्चात् फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को सोगना-काम में लेना-उपभोग है। जैसे एकबार जो भोजन खाया जा चुका है, या जो पानी एक बार पिया जा चुका है, वह भोजन पानी फिर खाया पिया नहीं जा सकता। अथवा अंगरचनों या विलेपन की जो वस्तु एक बार काम में आ चुकी है, वह फिर काम में नहीं आ सकती। इसी तरह जो जो वस्तु एक बार काम में आ चुकने के पश्चात्

फिर काम में नहीं आती, उन वस्तुओं को काम में लेना, उपभोग कहलाता है। इसके विरुद्ध जो वस्तु एक बार से अधिक बार काम में ली जा सकती है, उस वस्तु को काम में लेना, परिभोग कहलाता है। परिभोग किसे कहते हैं इसके लिए टीकाकार कहते हैं—परिभोगस्तु पुनर्पूनः भोग्यः स चासन शयन वसन वनितादिनां।

टीकाकार कहते हैं, कि जो वस्तु किर-फिर भोगी जा सके, उसको भोगना, परिभोग है। जैसे आसन, शैया बरत्र, वनिता आदि।

उपभोग परिभोग की व्याख्या इस तरह भी की जा सकती है, कि जो चीज शरीर के आन्तरिक भाग से भोगी जा सकती है, उसको भोगना उपभोग है और जो चीज शरीर के बाहरी भागों से भोगी जा सकती है, उस चीज को भोगना परिभोग है। ऐसी उपभोग्य और परिभोग्य वस्तुओं के विषय में यह मर्यादा करना, कि मैं अमुक-अमुक वस्तु के सिवा शेष वस्तुएँ उपभोग परिभोग में नहीं लूँगा, उस मर्यादा को उपभोग परिभोग परिमाणव्रत कहा जाता है। इस उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का उद्देश्य है, शारीरिक आवश्यकताओं को मर्यादित करना। जिसकी शारीरिक आवश्यकताएँ जितनी अधिक होंगी, उसको अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए उतनी ही अधिक प्रवृत्ति करना पड़ेगी और उतना ही अधिक पाप करना पड़ेगा। इसके विरुद्ध जिसकी आवश्यकताएँ जितनी कम होंगी उसे उतनी प्रवृत्ति भी नहीं करनी

पड़ेगी, वह दूसरे धर्म-कार्य के लिए समय भी बचा सकेगा, और आधिक पाप से भी बचा रह सकेगा।

यद्यपि शरीरधारणों के लिए भोजनांदि वस्तु का उपभोग परिसीमा आवश्यक माना जाता है, लोकिनगह उपभोग परिसीमा दो कारणों से होता है। एक तो दरीर की रक्षा के लिए-अनिवार्य आवश्यकता मिटाने के लिए-और दूसरा अनिवार्य आवश्यकता के बिना ही, केवल शारीरिक सुख के लिए। यानी विषयजन्य सुख प्राप्ति के लिए। इन दोनों कारणों में से, दूसरे कारण से किया जाने वाला उपभोग-परिभोग सर्वथा त्यागना चाहिए और अनिवार्य कारण से किये जाने वाले उपभोग परिभोग, यानी शरीर रक्षा के लिए जो आवश्यक है, उसके लिए यह मर्यादा करनी चाहिए, कि मैं शरीर रक्षा के लिए केवल अमुक-अमुक पदार्थ का ही उपभोग परिभोग करूँगा, शेष का नहीं। इस प्रकार इस व्रत का उद्देश्य, विषयजन्य सुख के लिए पदार्थों का उपभोग परिभोग यथाशक्ति सर्वथा त्यागना और शरीर-रक्षा के लिये उपभोग परिभोग में लिये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना है।

उपभोग में आनेवाली वस्तुएँ, प्रवानतः अशन, पान, स्वाद और स्वाद्य इन चार भागों में विभक्त हैं। जिन वस्तुओं का शरीर-रक्षा के लिए खाना आवश्यक माना जाता है, अथवा तुधा मिटाने के लिए जो चीजें खाई जाती हैं, उन चीजों की गणना अंशन में है।

अशन से मतलब पूर्ण भोजन है। क्नुधा मिटाने के लिए पूर्ण भोजन में खाये जानेवाले पदार्थ अशन कहलाते हैं।

जो वस्तुएँ दाँतों से चावे विना ही पी जाती हैं, उन पेय वस्तुओं का पीना 'पान' कहलाता है। जो वस्तुएँ उपभोजन यानी नाश्ता के रूप में खाई जाती हैं, उनकी गणना खाद्य में है और जो वस्तुएँ केवल स्वाद के लिए अथवा मुँह साफ करने के नाम पर खाई जाती हैं, जिनसे पेट नहीं भरता है, क्नुधा शान्त नहीं होती है, फिर भी शौक के लिए खाई जाती है, उनकी गणना खाद्य में है।

अशन, पान, खाद्य और स्वाद में विशेषतः कौन-कौनसी चीजें त्याज्य हैं, यह बताते हुए कहा गया है, कि अशन में आलू, मूला, कँदा, लहसुन और मांस * आदि भ्रष्ट पदार्थ त्याज्य हैं। पेय पदार्थों में मांस मादिरा आदि त्याज्य हैं। खाद्य यानी फलादि में

* श्री रत्नप्रभसूरि ने जब ओसवाल समाज की स्थापना की थी, तब सर्व प्रथम मांस मादिरा का त्याग कराया था। तब से ओसवाल जैन समाज मांसहारी नहीं है, और अभी भी जाति का यह नियम है कि कोई भी ओसवाल मांसभक्षण या मादिरापान न करे। इस प्रकार वर्तमान समय में जैन धर्मी कहलाने वाले लोगों के घरों में मांस मादिरा का सेवन तो प्रायः नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के घरों में भी आजकल ऐसी भ्रष्ट चीजोंको काममें लियाजाने लगा है जो प्रकार-

गुलर, बड़, पीपल, पिलंगू, अंजीर आदि वे फल त्याज्य हैं, जिनमें बीज बहुत होते हैं और त्रसजीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार स्वाद्य में भी वे वस्तुएँ त्याज्य हैं, जो ऊपर वताई गई चीजों से मिलती जुलती हैं। मतलब यह, कि श्रावकको ऐसा अशन, पान स्वाद्य और स्वाद्य सर्वथा त्याग देना चाहिए, जो लौकिक हाइ से निन्द्य तथा लोकोत्तर हाइसे महापापयुक्त हो और ऐसे अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य द्वारा ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जो लौकिक हाइ से निन्द्य तथा लोकोत्तर हाइ से महापाप पूरण न हो। साथ ही जो ऐसा हो, कि जिसके विना जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो और प्रकृति को सात्त्विक बनानेवाला हो।

न्तर से मांस मदिरा ही है। उदाहरण के लिए रोग मुक्त होने के लिए अथवा शरीर को सशक्त बनाने के लिए उन अंग्रेजी दवाइयों को खाना पीना, जो मांस और मदिरा की श्रेणी में है। अंग्रेजी दवाइयों में प्रायः अष्ट पदार्थों के सत्र अथवा शराब आदि का सांमिश्रण रहना ही है, और कई दवाइयां तो ऐसी होती हैं, कि जिनका नाम यह स्पष्ट निर्देष करता है, कि यह दवा ऐसी है, जो श्रावक के लिए किसी भी दशा में खाने या पोने के योग्य नहीं है। जैसे कॉडलीवर आइल, Codliver Oil हेमोग्लोबिन Hoemoglobin बकरे का लीवर Goats Liver और बन्दर का गिलेरड Monkeys Gland- Etc.

जैसा आहार-संयम श्रावक के लिए जैनदर्शन में बताया गया है, लगभग वैसा ही आहार-संयम अन्य दर्शनकार भी बताते हैं। जैसे गीता में तीन प्रकार की प्रकृति बताते हुए कहा गया है, कि किस प्रकारतिवाला कैसा भोजन करता है, अथवा कैसे भोजन से कैसी प्रकृति बनती है। सत्तोगुण, रजोगुण, और तमोगुण का रूप बताकर त्रिगुणातीत होने का उपदेश दिया गया है तथा यह कहा गया है, कि यदि कोई व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है, तो उसके लिए सात्त्विक प्रकृति की अपेक्षा राजस प्रकृति और राजसप्रकृति की अपेक्षा तामस प्रकृति त्याज्य है। इस प्रकार इस कथन द्वारा उस आहारका भी निषेध किया गया है, जो राजस या तामस प्रकृति बनाने वाला है।

कौनसा भोजन किस प्रकृति का उत्पादक या पोषक है, यह बात ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक बताई गई है। ग्रन्थों में कहा गया है, कि जिससे बल, उत्साह, आयु और सहनशीलता की वृद्धि हो, जो रसमय स्निग्ध स्वादयुत एवं धातुपोषक हो, वह आहार सात्त्विक है। जो कड़ुआ, खट्टा, द्वारयुक्त, ऊषण और दाहक हो तथा जो अहंकार की वृद्धि करे, वह आहार राजस है। जो रस-

आदि। ऐसी भ्रष्ट चीजों का उपयोग विशेषतः आलस्य अथवा परिस्थिति का ज्ञान न करके आरम्भ समारम्भ छोड़ बैठने या उससे बचने के नाम पर होता है, लेकिन इस प्रयत्न में अल्प पाप के बदले महापाप हो जाता है और श्रावक के लिए पहले महापाप ही त्याज्य है।

हीन, उच्छिष्ट, वासी तथा विगड़ा हुआ हो और जो क्रोधादि का उत्पादक हो, वह आहार तामस है।

भोजन से, मन, वाणी और स्वभाव का पूर्ण सम्बन्ध है। जो जैसा भोजन करता है, उसके मन, वाणी और स्वभाव में वैसा ही सद्गुण या दुर्गुण आता है। व्यवहार में भी कहावत है कि 'जैसा आहार होता है, वैसा विचार, उच्चार और व्यवहार भी होता है।' इस प्रकार आहार पर संयम रखना आवश्यक है और ऐसे आहार से बचे रहना भी आवश्यक है, जो विकृति उत्पन्न करनेवाला है, जिसके लिए महान् पाप हुआ या होता है और जो लोक मैं निन्द्य माना जाता है।

✓ श्रावके को यथा सम्भव सचित बस्तु भोगने का त्याग करना चाहिए। सचित का अर्थ है सजीव, यानी जीव सहित। जिसमें चित शक्ति मौजूद है, उसे सचित कहते हैं, जैसे कच्चा हरा साग, विना पीसा हुआ या बिना पकाया हुआ अन्न और जिनमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति है, वे बीज। इसी प्रकार विना पकाया हुआ या असंस्कृत पानी भी सचित है। श्रावक के लिए उचित है, कि जहाँ तक भी सम्भव हो, ऐसे अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग करना चाहिए, जो सचित हो। यद्यपि ऐसा न करनेवाला श्रावक श्रावत्व से नहीं गिरता है, लेकिन सचित का त्याग करना, श्रावकत्व को प्रशस्तता देना है। इसलिए जहाँ तक हो

सके, श्रावक को सचित आहार का त्याग करना चाहिए। सचित का त्याग करने में, श्रावकों को किसी बड़ी कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ सकता। क्योंकि गृहस्थ श्रावक सब साधन सम्पन्न होता है, और जब तक उसने आरम्भजा हिंसा को नहीं त्यागा है, तब तक उसके लिए भोजन पानी पकाने यानी अचित बनाने का भी निषेध नहीं है। बल्कि शास्त्र में भी जहाँ 'श्रावक' के भोजनादि का वर्णन है, वहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि—

असरणं पाणं खाइमं साइमं उवकखडावेऽ उवकखडावेऽत्ता ।

अर्थात्—अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य निपजा कर यानी बना कर भोगा।

इस प्रकार श्रावक, भोजन पानी आदि को अपने उपभोग में लाने के योग्य बनाने में स्वतन्त्र है। इसलिए श्रावक को अपना श्रावकत्व प्रशस्त करने के लिए जहाँ तक भी सम्भव हो, सचित अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग करना उचित है।

साधारणतया, श्रावक का खान पान सादा और सात्विक ही होना चाहिए। इस उपभोग परिमोग परिमाणव्रत का उद्देश्य भी यही है, कि श्रावक ऐसा ही भोजन पानी अपने काम में ले जो सादा सात्विक और जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक हो, तथा ऐसा भोजन पानी आदि त्याग दे, जो विकारी और सात्विक प्रक्रान्ति का नाश करने वाला हो। सातवाँ व्रत स्वीकार करने वाले

श्रावक को यह चात दृष्टि में रख कर ही खान पाने विषयक मर्यादा करनी चाहिए और जो लोग एक दम से स्वाद के लिए किया जाने वाला या सचित खान-पान नहीं त्याग करते, उनको अपनी शक्ति अनुसार मर्यादा करके अपनी असीम लालसा सीमित कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसे श्रावक का भी ध्येय यहीं रहना चाहिए, कि मैं स्वाद के लिए किया जानेवाला या सचित खान पान का पूर्ण त्यागी बनूँ और इस प्रकार इस सातवें व्रत का उद्देश्य पूर्ण करूँ।

खान पान में आनेवाले पदार्थों की तरह उन दूसरे पदार्थों के विषय में भी मर्यादा करनी चाहिए, जो उपभोग में आते हैं। इसी तरह परिभोग में आनेवाले पदार्थों के लिए भी यह मर्यादा करनी चाहिए, कि मैं अमुक अमुक परिभोग वस्तुओं के सिवा दूसरी वस्तुएँ परिभोग में न लूँगा। इस प्रकार की जानेवाली मर्यादा में केवल उन्हीं वस्तुओं की छूट रखना उचित है, जिनका परिभोग जीवन-रक्षा के लिए आनिवार्य है।

परिमोर्य—पदार्थों में उन सब पदार्थों की गणना है, जो शरीर को स्वच्छ, सुन्दर, सुवासित या विभूषित बनाते हैं, अथवा जो शरीर को आच्छादित रखते हैं या शरीर के लिए आनन्ददायी माने जाते हैं। दातुन करना, मुँह धोना, तेल उबटन लगाना, स्नान करना, बस्त्राभूषणपरिधान, पुष्पमाल धारण करना-

केशर इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य का विलेपन करना, छाता लगाना, जूता पहनना, रथादि वाहन पर बैठना, आसन शैया का उपयोग करना आदि कामों की गणना परिभोग में है। संक्षेप में, प्राणेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय द्वारा अनेक बार भोगी जानेवाली चीजों को भोगना, परिभोग है। कई वस्तुएँ ऐसी हैं, कि जिनका भोगना उपभोग में भी माना जा सकता है और परिभोग में भी, लेकिन किसी में भी मान कर उन सब वस्तुओं को भोगने का त्याग करना चाहिए, जिनके भोगे विना भी व्रतधारी अपना कार्य चला सकता है, जीवन निवाह कर सकता है, और उन वस्तुओं की मर्यादा करनी चाहिए, जिनका भोगना व्रतधारी अपने लिए अनिवार्य मानता है। यानि यह प्रातिज्ञा करना चाहिए, कि मैं उपभोग और परिभोग में आनेवाली वस्तुओं में से अमुक अमुक वस्तु सर्वथा न भोगेंगा, अमुक वस्तु इतनी बार से आधिक बार काम में नहीं लाऊँगा, इतने समय से पूर्व या पश्चात् की बनी हुई चीज का उपयोग नहीं करूँगा, अमुक समय पर ही अमुक वस्तु काम में लूँगा उसके पहले या पछे काम में न लूँगा, और अमुक वस्तु इतने समय तक ही काम में लूँगा, इस समय के पश्चात् काम में न लूँगा। इस तरह वस्तु के उपभोग और परिभोग के लिए, द्रव्य क्षेत्र और काल से मर्यादा करने का नाम ही उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है।

उपभोग और परिभोग में आनेवाली वस्तुओं को, शास्त्रकारों ने २६ बोलों में संब्रह कर दिया है। प्रायः वे सभी उपभोग्य परिभोग्य वस्तुएँ इन २६ बोलों में आ गई हैं, जिनका उपयोग करना जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। इन २६ बोलों का आधार मिल जाने से व्रत लेनेवाले को बहुत सुगमता होती है। वह इस बात को समझ जाता है, कि जीवन के लिए प्रधानतः किन किन वस्तुओं का उपभोग परिभोग आवश्यक है, और यह समझने के कारण वह वैसी चीजों को मर्यादा में रखना नहीं भूलता, जिससे उसे किसी समय काठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रकारों द्वारा बताये गये वे २६ बोल नीचे दिये जाते हैं।

() उल्लिखित विहि परिमाणः—मनुष्य जब प्रातःकाल उठ कर शौचादि से निवृत्त हो हाथ मुँह धोता है, तब उसे गीले हाथ मुँह पोछने के लिए बब्ल की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में ऐसा बब्ल ल्माल टुवाल आदि कहा जाता है। ऐसे बब्ल की मर्यादा करना।

कई लोग ऐसा वस्त्र रखना शौके या फेरान में मानते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा बब्ल जीवन-सहायिका सामग्रियों में से एक है। हाथ मुँह पोछने के लिए अलग बब्ल न रख कर पहने हुए, कपड़ों से अथवा अस्वच्छ वस्त्र से हाथ मुँह आदि पोछना हानिप्रद है। ऐसा करने से या तो पहने हुए वरत्र खराब होते हैं,

‘अथवा मालिन वस्त्र के परमाणु शरीर में प्राविष्ट कर रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथ मुँह आदि पौँछने के लिए एक विशेष वस्त्र रखना चाचित है। वह वस्त्र कैसा हो, यह बात आनन्द श्रावक के वर्णन से प्रकट है। आनन्द श्रावक ने इस सातवें व्रत के सम्बन्ध में जो मर्यादा की थी, उसमें उसने हाथ मुँह पौँछने के लिए ऐसा वस्त्र रखा था, जो रंगान और सुवासित था तथा जिसके स्पर्श से आलस्य उड़कर स्फूर्ति आती थी।

(२) दन्तब्रण विहि परिमाणः—रात के समय सोये हए मनुष्य के मुख में, श्वासोच्छ्वास के वायु द्वारा जो विकारी पुद्गल एकान्त्रित हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए दन्तधावन किया जाता है। उस दन्तधावन से सम्बन्धित पदार्थों के विषय में मर्यादा करना दन्तब्रण विहि परिमाण कहलाता है।

(३) फल विहि परिमाणः—दातुन करने के पश्चात् मस्तक और बालों को स्वच्छ तथा शीतल किया जाता है। ऐसा करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनके सम्बन्ध में मर्यादा करना फल विहि परिमाण कहा जाता है। *

* मस्तक को स्वच्छ तथा शीतल रखने से चुद्धि विकसित होती है और विकार शान्त रहते हैं, लोकिन आजकल के अनेक नवयुवक मस्तक को स्वच्छ शान्त रखने के लिए शक्तिवर्द्धक फलोंके बदले अंग्रेजी से रटत्वैल आदि ऐसी चीजों को उपयोग करते हैं, जिनसे

(४) अभ्यंगण विहि परिमाणः—त्वचा सम्बन्धी विकारों को दूर करने और रक्त को सभी अवयवों में पूरी तरह संचारित करने के लिए जिन तैलादि द्रव्यों का शरीर पर मर्दन किया जाता है, उन द्रव्यों की मर्यादा करना अभ्यंगण विहि परिमाण है।

(५) उबटणः—परिमाण विहि शरीर पर लगे हुए तेल, की चीकट तथा मैल को हटाने और शरीर में रक्तूर्ति तथा शक्ति लाने के लिए उबटन (पीठी) लगाया जाता है। उसे उबटन के सम्बन्ध में मर्यादा करना ।

(६) मंज्ञण विहि परिमाणः—इस बोल में स्नान-विधि का परिमाण करना बताया है। अभ्यङ्गन और उबटन के पश्चात स्नान किया जाता है। उसके सम्बन्ध में यह मर्यादा करना, कि इतनी बार से अधिक बार स्नान नहीं करेंगा, अर्थात् स्नान में अमुक प्रकार के इतने जल से अधिक जल व्यय न करेंगा।

(७) वृथ विहि परिमाणः—स्नान के पश्चात् वरत्र परिधान

बुद्धि विकृत होती है, मस्तक अशान्त होता है और वीकार उत्तेजित होते हैं। मस्तक को स्वच्छ करने के लिए औंवला त्रिफला आदि फल जैसे उपयोगी माने जाते हैं, वैसे उपयोगी वलायती सेरेट तेल आदि नहीं हो सकते। बल्कि वलायती सेरेट आदि चीजें हानिप्रद होती हैं। इसलिए श्रावक को ऐसी चीजे काम में न लेनी चाहिए।

किया जाता है। उन वस्त्रों के विषय में मर्यादा करना कि, मैं अमुक अमुक तरह के इतने बल्कि से आधिक बल्कि शरीर पर धारण न करूँगा। इस तरह को मर्यादा में ऐसे बल्कि रखना ही उचित है, जो लज्जा की रक्षा करनेवाले और शीतोष्णादि से बचाने वाले तो हों, परन्तु विकार पैदा करने वाले न हो।

(८) विलेपण विहि परिमाणः—वस्त्र परिधान के पश्चात् शरीर पर ऐसे द्रव्यों का विलेपन किया जाता है, जो शरीर को शीतल तथा सुशोभित करने वाले होते हैं। जैसे चंदन, केसर, कुंकुम आदि। इस तरह के द्रव्य की मर्यादा करना।

(९) पुष्फ विहि परिमाणः—इस बोल मे पुष्पों की मर्यादा करने के लिए कहा गया है। मैं अमुक दृक्ष के इतने फूलों के सिवा दूसरे तथा आधिक फूल काम मे न लूँगा ऐसी मर्यादा करना पुष्फ विहि परिमाण है।

(१०) आभरण विहि परिमाणः—शरीर पर धारण किये जानेवाले आभूषणों की मर्यादा करना, कि मैं इतने मूल्य या भार (वजन) के अमुक आभूषण के सिवा और आभूषण शरीर पर धारण न करूँगा। *

* शरीर पर आभूषण इसलिए धारण किये जाते हैं, कि शरीर अलंकृत भी रहे, और समय पर उन आभूषणों से सहायता भी ली जा सके। लेकिन आज ऐसे आभूषण धारण

(११) धूप विहि परिमाणः—इस बोल मे वायु-शुद्धि के लिए की जाने वाली धूप (सुगन्धित द्रव्य जलाना) का परिमाण करना बताया गया है । जिस स्थान पर निवास किया जाता है स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ का वायु शुद्ध रहना आवश्यक है और धूपादि का उपयोग वायु शुद्धार्थ ही किया जाता है परन्तु इसके लिए भी सर्वादा करना उचित है ।

जपर जिन विधियों का परिमाण करना बताया गया है, वह उन पदार्थों के लिए है, जिनसे या तो शरीर की रक्त होनी है, अथवा जो शरीर को विभूषित करते हैं । अब नीचे ऐसी चीजों की विधि का परिमाण बताया जाता है, जिनसे शरीर का पोषण होता है, शरीर को बल मिलता है, अथवा जो स्वाद के लिए काम में लाये जाते हैं ।

(१२) पेड़ज विहि परिमाणः—जो पिये जाते हैं, उन पेय पदार्थों का परिमाण करना । पूर्व काल में भोजन मध्याहन में किया जाता था, इस कारण प्रातःकाल के समय कुछ ऐसे पदार्थ पिये जाते थे जिनसे अजरणादि विकार मिट कर लुधा किये जाते हैं, कि जिनसे यह उद्देश्य पूरा नहीं होता । जो केवल फेशन के लिये पहने जाते हैं जिनका मूल्य आधिक नहीं होता, केवल दिखाज होते हैं । श्रावकों को ऐसे आमृषणों से बचना चाहिए ।

की वृद्धि होती है । *

(१३) भक्त्यण विहि परिमाणः—इस बोल मे उन पदार्थों का परिमाण करने के लिए कहा गया है, जो भोजन से पहले नाश्ते के रूप में खाये जाते हैं । जैसे भिठाई आदि ।

(१४) ओदण विहि परिमाणः—ओदण मे उन द्रव्यों का समावेश है, जो विधि पूर्वक अस्ति द्वारा उचाल कर खाये जाते हैं । जैसे चावल, थूली, खिचड़ी, आदि ।

(१५) सुप्प विहि परिमाणः—सुप्प मे उन पदार्थों का समावेश है, जो दाल आदि के रूप में खाये जाने हैं, और

* आज कल भी कई लोग प्रातःकाल के समय चाय आदि पिया करते हैं, लोकोंने यह उन पाश्चात्य देशों की नकल है, जहाँ सर्दी का प्रकोप रहता है । भारत, ऊषण देश है । यहाँ के लिए चाय, स्वास्थ्य-बद्धक नहीं हो सकती, किन्तु हानि देनेवाली है । यहाँ के लिए प्रधानतः दूध अनुकूल है । परन्तु हमारी असावधानी से दूध के कल्पवृक्ष सूखते जा रहे हैं । हमारी उपेक्षा के कारण भारत का पशुधन नष्ट हो रहा है । भारत में अनेक कल्लखाने खुल गये हैं, फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलतीं । हम दुधारु पशुओं की रक्षा न करके उन्हें उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं, जो उन्हें कंत्ल कर डालते हैं ।

जिनके साथ रोटी या भात आदि खाया जाता है *

(१६) विगय विहि परिमाणः—विगय में वे पदार्थ हैं, जो भोजन को सुस्वादु एवं पाँषिक बनाते हैं । जैसे दूध, दही, घृत, तेल और गुड़ शक्तर आदि मिठाई । दूध, दही, घृत तेल और मिठाई, इन पाँच की गणना विगय (विकृति उत्पन्न करने वाले) में है । मधु (शहद) और भक्खन, विशेष विकृत उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए श्रावक को विशेष कारण के बिना इनका उपयोग न करना चाहिए । मधु और मांस महा विगय (बहुत ही विकृति करनेवाले) हैं । इनसे बुद्धि भी अष्ट होती है, और ये व्रस जीवों की धात पूर्वक उत्पन्न होते हैं । अतः ये श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य हैं । मांस और मदिरा के दूषण दिखाते हुए कहा है कि—

८ पंचन्द्रिय वह भूय मंस दुग्धंधम सुइ विभयं ।

रक्ख परितुलिश्च भक्खन्न मामयजयणं कुगई मलं ॥

भावार्थ—मांस, पंचन्द्रिय जीवों के वध का कारण भूत है,

* आनन्द श्रावक ने सुप्त विहि परिमाण में दाल के बड़े रखे थे जो खटाई सहित दही मिलाकर आज भी खोये जाते हैं । यदि द्विदल को दही का संयोग मिलने से जीवों की उत्पत्ति सम्भव हो, तो फिर आनन्द श्रावक जैसा धार्मिक व्यक्ति ऐसे बड़े अपने काम में कैसे ले सकता था ?

दुर्गन्धि और अशुचि का स्थान है, तथा उसका देखना भी वृषोत्पादक एवं कुराति का प्रेरक है।

गृह वहिर्वा मार्गेण पर द्रव्याणि मूढधीः ।

बधवन्धादिनिर्भीको गृहत्पाच्छ्लिघ्म भद्रपः ॥

इस श्लोक में कवि ने मदिरा के दोष बताये हैं। श्रावक को ऐसे मांस मदिरा का प्रकट अप्रकट या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रीति से सेवन न करना चाहिए, किन्तु सर्वथा त्याग करना चाहिए और ऊपर बताई गई पाँच विग्रह के सेवन की भी ऐसी मर्यादा करना चाहिए, कि जिसके सेवन से इन्द्रियों और मन आनियन्त्रित न हो जायें। इसी प्रकार मधु और मञ्जखन भी विशेष कारण के बिना उपयोग में न लेने चाहिए।

(१७) साग विहि परिमाणः—साग में उन पदार्थों की गणना है, जो भोजन के साथ व्यंजन लूप से खाये जाते हैं। ऊपर पन्द्रहवें बोल में उन दालों की ही मधानता है, जो अन्न से बनती है। शेष सूखे या हरे साग की गणना साग में है। साग विषयक मर्यादा को साग विहि परिमाण कहते हैं।

(१८) माहूर विहि परिमाणः—इस बोल में मधुर फलों की मर्यादा करना बताया है। आम, जामुन, केला, अनार आदि हरे फल और दाढ़, बादाम, पिश्ता आदि सूखे फलों की मर्यादा करना माहूर विहि परिमाण है।

(१६) जिमण विहि परिमाणः— इसमें उन पदार्थों की मर्यादा करना कहा गया है। जो भोजन के रूप में चुधानिवारणार्थ स्वाये जाते हैं। जैसे रोटी, बाटी, पूरी, पराठे आदि।

(२०) पाणी विहि परिमाणः— इसमें पानी की मर्यादा करने को कहा गया है। स्थान नाम या संस्कार भेद से जिसके नाम अला अलग होते हैं, अथवा द्रव्य संयोग से जिसका पर्याय पलट गई है, ऐसे पानी की मर्यादा करना पाणी विहि परिमाण है। शीतोदक, ऊषणोदक, गन्धोदक अथवा खारा पानी, भीठा पानी आदि पानी के अनेक भेद होते हैं। इसलिए पानी के विषय में भी यह मर्यादा की जाती है, कि मैं अमुक ग्रकार के पानी के सिवा दूसरा पानी न पियूँगा ।

(२१) मुख वास विहि परिमाणः— इस बोल में उन पदार्थों की मर्यादा करना कहा गया है, जो भोजनादि के पश्चात् स्वाद या मुख-शुद्धि के लिए स्वाये जाते हैं। जैसे पान, सुपारी इलायची आदि ।

(२२) उचाहण विहि परिमाणः— इसमें उन वस्तुओं की मर्यादा करना बताया गया है। जो पेर में पहनी जाती है। जैसे जूता, खड़ाऊँ आदि ।

(२३) वाहण विहि परिमाणः— इसमें उन साधनों का विधि का परिमाण करने का कहा गया है, जिन पर चढ़ कर भ्रमण या प्रवास किया जाता है। जैसे घोड़ा, हाथी, ऊट, चैलगाड़ी, घोड़ा-

गाढ़ी, रथ, पालकी, नाव, जहाज आदि ।

(२४) सयण विहि परिमाणः—इसमें उन वस्तुओं की मर्यादा है, जो सोने बैठने के काम आती है । जैसे पलंग, ढोलिया खाट, पाट, आसन, बिछौना, मेज कुर्सी आदि ।

(२५) सचित विहि परिमाणः—इसमें सचित यानी जीव साहित ऐसे पदार्थों की मर्यादा वताई गई है, जो बिना आचित बनाये ही खाये जाते हैं और जिनके स्पर्श से मुनि महात्मा बचते हैं । श्रावक, श्रमणोपासक होता है । श्रमणों की सेवा उपासना उन्हें प्रासुक आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि देकर ही की जाती है, और किसी तरह की यानी शारीरिक-सेवा तो साधु लोग गृहस्थ से कराते ही नहीं हैं । और श्रावक प्रासुक आहार पानी आदि तभी श्रमण को दे सकता है, जब वह स्वयं आचित भोग रहा हो । इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रावक को सचित का सर्वथा त्याग करना चाहिए और यदि ऐसा न कर सके तो सचित की मर्यादा करनी चाहिए ।

(२६) द्रव्य विहि परिमाणः—इस बोल मे यह कहा गया है, कि ऊपर के बोलों में जिन पदार्थों की मर्यादा की है, सचित और आचित पदार्थों का जो परिमाण किया है, उन पदार्थों को द्रव्य रूप में संग्रह करके उनकी मर्यादा करे, कि मे एक समय में, एक दिन में या आयु भरमे इतने द्रव्य से अधिक का उपयोग न करेंगा । जो वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिए अलग

अलग मुंह में डाली जावेगी, अथवा एक ही वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिए दूसरी-दूसरी वस्तु के संयोग के साथ मुंह में डाली जावेगी, उसकी गणना भिन भिन द्रव्य में होगी। इस-लिए जब तक वन सके श्रावक को रसलोलुप न रहना चाहिए।

ऊपर बताये गये २६ बोलों में पहले के ११ बोल शरीर को स्वच्छ स्वस्थ और सुशोभित बनानेवाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं, मध्य के १० बोल खानपान में आनेवाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं और अन्त के शेष बोल शरीर की रक्षा करनेवाले अथवा शाँक पूरा करनेवाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं। इन बोलों में, जीवन के लिए आवश्यक सभी उपभोग्य परिभोग्य पदार्थ आ जाते हैं। इन बोलों में कई बोल तो ऐसे पदार्थों से सम्बन्धित हैं, जो वक्तमान समय के लोगों को आवश्यकता से अधिक जान पड़ते हैं, परन्तु शास्त्र में जो वर्णन है वह त्रिकालज्ञों द्वारा सामान्य विशेष सभी लोगों को हाइ में रखकर किया गया है। व्रत धारण करनेवालों में साधारण लोग भी होते हैं और राजा लोग भी होते हैं। इसोलिए शास्त्र में ऐसी विधि बताई गई है, कि जिससे किसी को कठनाई में न पड़ना पड़े। शास्त्रकारों ने अपनी ओर से तो सभी बातें बता दी हैं, फिर जिस को जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह उसे त्याग सकता है।

उपभोग परिभोग परिमिण व्रत का उद्देश्य श्रावक के जीवन को मर्यादित तथा सादा बनाना है, और उसको आवश्यकताओं को इतना कम करना है, कि जिससे आधिक कम करना व्रत लेने वाले

श्रावक के लिए सम्भव नहीं है। यह बात दूसरी है, कि कोई श्रावक एक दम से अपनी आवश्यकता एँ न घटा सके और इस कारण उसे ब्रत की मर्यादा साधारण से अधिक रखनी पड़े, फिर भी उसका ध्येय तो यही होना चाहिये कि मैं अपना जीवन विलकुल ही सादा बनाऊँ और अपनी आवश्यकताओं को नहीं घटा सका है तथा अपना जीवन पूरी तरह सादा नहीं बना सका है, वह यदि इस ओर धीरे धीरे बढ़ता है तो कोई हर्ज़ नहीं, लोकिन उसको यह लक्ष्य विस्मृत न करना चाहिये।

शारोषक का यह कर्त्तव्य है, कि जिस तरह वह स्वयं जीवित रहना चाहता है, उसी तरह दूसरे को भी जीवित रहने दे। इस कर्त्तव्य का पालन वही कर सकता है, जिसकी आवश्यकता एँ साधारण हैं, बढ़ी हुई नहीं है। जिसकी आवश्यकता एँ बढ़ी हुई हैं, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये दूसरे को कष्ट में डाले, अथवा उसकी आवश्यकताओं के कारण दूसरे को कष्ट हो, यह स्वाभाविक है। जब चार आदमियों के निवाह योग्य भोजन वस्त्र आदि को एक ही आदमी अपने काम में ले लेगा, तब शेष तीन आदमियों को कष्ट उठाना ही पड़ेगा। यदि सब लोग अपना जीवन सादगी से वितावे, अपनी आंचश्यकता एँ न बढ़ने दें, तो संसार में किसी को उपभोग परिभोग पदार्थों की ओर से कोई कष्ट नहीं रह सकता। सभी लोगों का जीवन

व्यक्ति के कारण हजारों लाखों मनुष्यों को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं से बंचित रहना पड़ता है। एक और तो कुछ लोग राजसी कही जानेवाली जूख सामग्री खोगते हैं और दूसरी और बहुत से लोग अन्न के बिना ब्राह्मि-ब्राह्मि करते हैं। इस प्रकार संतार में महान् विषमता फैली हुई है, और इस विषमता का कारण है कुछ लोगों का अपनी आवश्यकताएँ अत्यधिक बढ़ा लेना। जो लोग अन्न बन्न आदि जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के न मिलने या कम मिलने से कष्ट पा रहे हैं, उनके लिए वे ही लोग उत्तरदायी हैं, जो ऐसी चीजों का दुर्लभयोग करते हैं, अधिक उपभोग करते हैं, अथवा अपने पास संग्रह करके रखते हैं। जिनकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं वे लोग यदि अपनी आवश्यकताओं को घटा दें, उतना ही अन्न बख आदि काम में लै जितना कि काम में लेना अनिवार्य है और अपने पास ऐसी चीजें अधिक संग्रह न कर रखें, तो दूसरे लोगों को अन्न बस आदि न मिलने या कम मिलने के कारण कष्ट ही क्यों उठाना पड़े तथा साम्राज्यवाद और साम्यवाद की दल बन्दी में क्यों हो !

वास्तविक बात यह है कि सांसारिक पदार्थों का उपयोग किस लिए होना चाहिए, लोकिन किस लिए किया जाता है या माना जाता है, इस विषय में लोगों से भूल हो रही है। उस भूल के कारण ही लोग अपनी आवश्यकताएँ बढ़ा लेते हैं, अथवा

आधिक से आधिक पदार्थ अपने आधिकार में रखना चाहते हैं। सांसारिक पदार्थों का उपयोग किस लिए है, लेकिन माना किस लिए जाता है, यह बताने के लिए भर्तृहरि कहते हैं—

तृष्णाशुष्ट्यत्यास्ये पिवति सलिलं स्वादु सुरभि ०

ज्ञुधार्तः सन् शालीन् कवलयति शाकादि वलिवान् ।

प्रदीप्ते कामाग्नौ सुट्टुदत्तरमा शिलष्ट्यति वधुं ।

प्रतीकारो व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यातिजनः ॥

अर्थात्- भनुष्ट्य का कंठ जब प्यास से सूखने लगता है, तब वह शीतल सुगन्धित जल पीता है। भनुष्ट्य जब ज्ञुधा से पीडित होता है, तब शाकादि सामग्री के साथ भोजन करता है और जब कामाग्नि प्रदीप्त होती है, तब सुन्दर स्त्री को हृदय से लगता है। इस प्रकार पानी भोजन स्त्री-अधबा ऐसी ही दूसरी चीजें पृथक् पृथक् व्याधी की ओषधियों हैं एक एक दुःख मिटाने की दबा हैं-परन्तु भनुष्ट्यों ने इनमें सुख मान रखा है।

इस प्रकार लोगों ने उन पदार्थों में सुख मान रखा है, जिनका उपभोग किसी दुःख को मिटाने के लिए ही किया जाता है और इसी कारण आवश्यकता न होने पर भी उन पदार्थों का उपभोग परिभोग किया जाता है, अर्थबा ऐसा प्रयत्न किया जाता है, कि जिससे उन पदार्थों का आधिक से आधिक उपभोग परिभोग किया जा सके। यदि ऐसा न हो, तो खाने के लिए

पकवान साग और इसी प्रकार अन्य सुस्वाद वस्तुओं की क्या आवश्यकता है ! भूख तो साधारण रोटी आदि से भी मिट सकती है । भूख लगने पर रुखी सूखी रोटी भी प्रिय एवं सुस्वादु लगती है । ऐसी दशा में पकवान मिटान एवं साग चटनी अचार मुरब्बे या अन्य ऐसे ही पदार्थों की क्या आवश्यकता रहती है ! लेकिन लोगों ने खाने पीने में आनन्द मान रखा है । लोग चाहते हैं, कि हम बिना भूख भी आधिक से आधिक खावें । इस तरह लोग ज्ञुधा मिटाने के लिए खाने के बदले, रसेन्द्रिय का अधिक से आधिक पोषण करना चाहते हैं और इसीलिए ज्ञुधा न होने पर भी ऐसी सुस्वादु चीजे खा जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद, रोग उत्पन्न करनेवाली अपिक खर्च करनेवाली और आधिक पाप द्वारा तैयार होती है । रोग उत्पन्न होने का प्रधान कारण ऐसा खानपान ही है, जो ज्ञुधा न होने पर भी केवल रवाद के लिए खाया-पिया जाता है ।

स्वाद-लौलुप लोग, स्वाद के लिए आधिक खा पी कर अपना जीवन तक भी नष्ट कर डालते हैं । इसके लिए रोम के एक चादशाह की बात प्रसिद्ध है । कहा जाता है, कि रोम का एक चादशाह स्वादिष्ठ पदार्थ खाने पीने का बहुत शक्ति था । वह अपने लिए अनेक प्रकार के सुस्वाद भोज्य पदार्थ बनवा कर खाता । खाने के पश्चात् वह ऐसी आैषध खाता; जिससे वमन हो जाती और फिर खाने के लिए पेट खाली हो जाता ।

पेट खाली होने पर वह फिर खाता और फिर वमन करता वह एक दिन में ऐसा कहीं-कहीं बार किया करता। परिणाम यह हुआ, कि उसे क्षय रोग हो गया और वह जल्दी मर गया।

रोम के इस बादशाह को बात तो इस कारण प्रसिद्धि में आई कि वह बादशाह था तथा खाने के लिए औषध की सहायता से वमन किया करता था, लेकिन इसी तरह केवल स्वाद के लिए खाने वाले लोग आजिर्णादि के कारण प्रति वर्ष न मालूम कितने मर जाते हैं, किन्तु उनकी बात प्रसिद्धि में नहीं आती। इस तरह स्वाद के लिए खाना हानिप्रद है। फिर भी बहुत से लोगों ने, अधिक मात्रा में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाना गैरवास्पद मान रखा है। साधारण जनता भी यही मानती है, कि जो अनेक प्रकारके सुस्वाद भोजन करता है, वही प्रतिष्ठित और सद्भागी है। ऐसा मानने के कारण जनता उस व्यक्ति की निन्दा भी करने लगती है, जो धनवान होकर भी सादगी से जीवन विताता है और स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाता है। परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति निन्दा के योग्य नहीं किन्तु प्रशंसा के योग्य ही है, जो धनवान होकर भी केवल शरीर-रक्षा के लिए ही भोजन करता है, स्वाद के लिए भोजन नहीं करता। उपासकदशाङ्क सूत्र में जिन आनन्द आदि दस श्रावकों का वर्णन है, वे श्रावक फरोड़ों की संम्पत्ति वाले थे, फिर भी उनने उपभोग परिमोぎ परिमाण ब्रत लेते सभ्य मयादी में जीवन

निर्वाह की आवश्यक सामग्री के सिवा ऐसी कोई वस्तु न रखी थी, जो स्वाद या विलासिता के लिए हो ।

बहुत से लोगों ने जिस तरह भोजन में सुख मान रखा है, उसी तरह वस्त्र में भी सुख मान रखा है, उनकी हाइ में, वस्त्र शीत ताप से बचने के लिए नहीं पहने जाते, किन्तु श्रृंगार के के लिए पहने जाते हैं और इस कारण आधिक एवं मूल्यवान वस्त्र पहनना और वस्त्रों का अधिक परिवर्तन करना बड़प्पन माना जाता है। इस तरह की धारणा बन जाने से लोग शरीर पर इतने आधिक वस्त्र लाद लेते हैं, कि जो शरीर के लिए बोझ रूप होने के साथ ही रवास्थ्य नष्ट करते हैं और व्यय बढ़ाने वाले भी होते हैं। साथ ही अपने आधिकार में इतने आधिक वस्त्र सम्रह कर रखते हैं, कि जो पढ़ ही पढ़े खंराव हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं। इस प्रकार एक ओर तो बहुत से वस्त्र पढ़े पढ़े नष्ट होते हैं और दूसरी ओर अनेक लोग, शीत ताप स बचने के लिए वस्त्र न मिलने से दुख पाते तथा मरते हैं।

इस उष्ण प्रदेश भारत में आधिक वस्त्र पहनना कदापि आवश्यक या लाभप्रद नहीं है। इस देश में तो केवल लज्जा की रक्षा के लिए अथवा शीतकाल में शीत से बचने के लिए वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकान्स लोग आवश्यक वस्त्रों के सिवा और भी बहुत से वस्त्र, केवल अपना

बड़पन दिखाने के लिए अथवा शीत-देशवासी लोगों का अनुकरण करने के लिये शरीर पर लादे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर को पूरी तरह हवा नहीं लगती, इस कारण शरीर का पसीना रोम कूपों से जम कर सूख जाता है जिससे वायु का संचार रुक जाता है, अथवा वह पसीना वस्त्रों से प्रविष्ट हो कर सूख जाता है, और शरीर के आस पास गन्दगी पैदा कर देता है। इस प्रकार अधिक वस्त्र पहनना, स्वास्थ्य-विधातक होने के साथ ही, शरीर की त्वचा से शीत ताप या पूर्व का अधात सहन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का भी विनाशक है और शरीर को दुर्बल रुग्ण एवं अल्पायुषी बनाने वाला है।

लोगों ने वस्त्र पहनना किसी दुःख से बचने के लिए नहीं, किन्तु श्रृंगार अथवा वर्तमान कालेनि सभ्यता का पालन करने के लिए मान रखा है। इस कथन का एक और प्रणाम यह है कि लोगों का मूल्यवान कलापूर्ण एवं महीन वस्त्र पहनना। यदि शीतादि से बचने और जज्जा की रक्षा के लिए ही वस्त्र पहनना माना जाता, तो फिर चित्र विचित्र रंगबाले, अधिक मूल्यवान कलापूर्ण या महीन वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता न होती, किन्तु ऐसे ही वस्त्र पहने जाते, जिनके द्वारा शीत ताप से बचा जा सके, लज्जा की रक्षा हो सके, जो सर्व साधारण को प्राप्त होने योग्य सादे हों और जिनके निर्माण से महा पाप न हुआ हो। इसी प्रकार जो बालक लज्जा को जानते ही नहीं हैं, उन-

को बस्त्रों से जकड़ कर उनके शारीरिक विकास को भी न रोका जाता। बच्चों को बस्त्र पहनाये जाने का विरोध करते हुए कवि सम्राट् रविन्द्रनाथ टागारे ने यह अभिप्राय व्यक्त किया है, कि बच्चों के शरीर पर सिले हुए बस्त्र पहनाना, बच्चों के शारीरिक विकास को रोकना और एक प्रकार से उनकी हत्या करना है। स्वयं वच्चे भी सिले हुए बस्त्र पहनना पसन्द नहीं करते। बल्कि जब उन्हें बस्त्र पहनाया जाने लगता है, तब वे रोकर बस्त्र पहनाये जाने का विरोध करते हैं, लेकिन यदि भारतीयों द्वारा किया गया कोई विरोध अंग्रेज सुनते हों, तो बालक द्वारा किया गया बस्त्र पहनाने का विरोध माता पिता भी सुने। अर्थात् जिस तरह अंग्रेज लोग भारतीयों पर जबरदस्ती करते हैं, उसी तरह माता—पिता बलकों पर जबरदस्ती करते हैं।

मतलब यह कि भोजन और बस्त्र में सादगी का न होना, प्रत्येक द्रष्टि से हानिप्रद है। जो सादगी से जितना दूर रहता है और फेशन को जितना अपनाता है, वह दूसरे लोगों को उतना ही अधिक दुःख में डालता है। भारत के लोगों की दैनिक आय औसतन ढेढ या पाँने दो आने हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक खर्च करता है, वह उतने ही अधिक लोगों को भोजन बस्त्र से वंचित रखता है। जैसे, नव भारतीयों को दैनिक एक स्पया मिलता है। यानी नव आदमियों के हिस्से में एक स्पया

आया है। वह एक स्पर्या ही उन नव-आदमियों के जीवन-निर्वाह का साधन है, लेकिन यदि उन में का कोई एक आदमी बुद्धि बल, शारीरिक बल या द्रव्य बल से उस एक स्पर्ये को आप अकेला ही हड्डप लेता है, आप अकेला ही एक दिन में एक स्पर्या खर्च कर देता है, तो ऐसे आठ आदमी भूखे रहे यह स्वभाविक ही है। इस प्रकार जो भोजन वस्त्र या फेशन शौक के लिए अधिक व्यय करता है, वह दूसरे कई लोगों को भूखो मारने का पाप कहाता है। अपने ऐसे व्यवहार के कारण दूसरे को भूखों मारना, उस दूसरे की हत्या करना ही है। ऐसा करके उन लोगों के हृदय में प्रतिहिसा की भावना उत्पन्न करना है, कि जो लोग भोजन, वस्त्र आदि के बिना कष्ट पाते हैं। कभी-कभी तो भोजन वस्त्र न मिलने के कारण दुःखी लोगों का असन्तोष इतना बढ़ जाता है, उनके हृदय में प्रतिहिसा की ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, कि जिससे वे असन्तुष्ट और दुःखी लोग उन लोगों का धन जननष्ट कर डालते हैं, कि जो लोग अपने रहन सहन में अधिक खर्च करते हैं तथा अन्न वस्त्र के बिना दुःखी लोगों की ओर ध्यान तक नहीं देते। ऐस का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है।

लोगों ने जिस तरह भोजन और वस्त्र के अधिक उपभोग में आनन्द एवं गौरव मान रखा है, उसी तरह आभूपण पहनने में भी सुख तथा गौरव मान रखा है। परन्तु विचार करने पर

मालूम होगा, कि आभूषण-और ऐसी ही दूसरी चीजें—जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, किन्तु हानिप्रद हैं। जिन आभूषणों में सुख और श्रृंगार की वस्तु मान कर, पहना जाता है, क्या उनके कारण कभी जीवन नहीं खोना पड़ता? क्यों उनकी रक्षा के लिए चिन्तित नहीं रहना पड़ता? और क्या वे शरीर के लिए भार रूप नहीं हैं? इसी प्रकार जिन नशीली चीजों को आनन्द के लिए सेवन किया जाता है, क्या वे चीजें स्वास्थ्य नष्ट नहीं करतीं? क्या सावुन, क्रीम आदि वस्तुएँ त्वचा से रही हुई प्राकृतिक लक्ष्मता नष्ट करके त्वचा को कमज़ोर नहीं बनातीं; वास्तव में ऐसी सभी चीजें हानि करने वाली हैं, और इनके उपयोग में किसी प्रकार का सुख भी नहीं है, बाल्कि जीवन को दुःखी बनानेवाली है, फिर भी लोग ऐसी चीजों में आनन्द मानते हैं और जब वे चीजे प्राप्त नहीं होतीं, तब मनस्ताप करते हैं तथा अपने जीवन का आधिकांश भाग ऐसी चीजों का प्राप्ति के प्रयत्न में ही लगा देते हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं के बढ़ाने पर जीवन अशान्त रहता है और सदा हाय-हाय ही बनी रहती है।

सारांश यह कि जिन वस्तुओं का उपयोग किये विना साधारण-तथा जीवन—निर्वाह नहीं हो सकता, उन चीजों को मर्यादा में रख कर—उनका परिमाण करके—शष चीजों के उपभोग परिभोग का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से इदर्दा

आवश्यकताओं को मर्यादित कर लेने से-जीवन बहुत शान्ति से व्यतीत होता है। जीवन में उपभोग्य परिभोग्य पदार्थ सम्बन्धी अशान्ति नहीं रहती। इसके सिवा, 'जो अपना सर्व कम रखता है उसे कमाना भी कम पड़ता है' और जो आधिक सर्व रखता है उसे कमाना भी आधिक पड़ता है' इस लोकोक्ति के अनुसार अपना रहन सहन, और खान-पान सादा न रखने पर खर्चांले रहन-सहन एवं खानपान के लिए आधिक कमाना पड़ेगा, जिससे जीवन में अशान्ति रहना स्वाभाविक है। जिसका जीवन खाने-पीने तथा पहनने ओढ़ने आदि के लिए कमाने में ही लगा रहता है, उसके द्वारा धर्म कार्य कब होंगे! ऐसे व्यक्ति का चिन्ता आवश्यकता पूर्ति की चिन्ता से आस्थिर रहता है, और जिनका चित ही आस्थिर है, उसके द्वारा आत्म-कल्याण और परोपकार के कार्य कैसे हो सकते हैं।

उपभोग परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करने से-यानी अपनी आवश्यकताएँ मर्यादित बना लेने से जीवन भी बहुत शान्ति से व्यतीत होता है और मूलब्रतों का विकास भी होता है। यह व्रत स्वीकार करनेवाले का जीवन सादा हो जाता है, जिसमें मूलब्रत देदीप्यमान होते हैं। जनता में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और लोगों की दृष्टि में वह विश्वासप्राप्त भाना जाता है।

मूलब्रत स्वीकार करते समय श्रावक कुछ अव्रत तो ढो करण तीन योग से त्यागता है, तथा कुछ कम से। यानी एक करण तीन योग से अथवा एक करण एक योग से भी। इस

कारण व्रत में जो कुछ छूट रह जाती है—यानी जो अव्रत शेष रह जाता है—वह दिक्कत्रत धारण करने पर क्षेत्र से और उपभोग परिभोग परिमाणव्रत धारण करने पर द्रव्य से संकुचित हो जाता है। अर्थात् शेष रहे हुए अव्रत सीमित हो जाते हैं, और मूलब्रत प्रशस्त हो जाते हैं। दिक्कत्रत और उपभोग परिभोग परिमाणव्रत, मूलब्रतों में गुण उत्पन्न करके उन्हे देवीप्यमान बनाते हैं। उदाहरण के लिए एक आदमी आम्रफल खाता है और दूसरा आदमी आम्रफल खाने का त्यागी है। इन दोनों में से जिसने आम्रफल खाना त्याग दिया है, उसको यह विचार ने की आवश्यकता ही न रहेगी, कि इस वर्ष आम की फसल कैमी है, आम क्या भाव है, अथवा बाजार में आम आते हैं या नहीं ! इस प्रकार वह आम विषयक विचारों एवं संकल्प-विकल्प आदि के पाप से बचा रहेगा। इसके विरुद्ध जो आम्रफल खाता है, उसको आम सम्बन्धी अनेक विचार होंगे, वह आम सम्बन्धी चिन्ताओं की परम्परा से धिरा रहेगा और पाप का भागी बनता रहेगा। उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वकार करने व न करनेवाले में प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध में ऐसा ही अन्तर रहता है। जो उपभोग परिभोग परिमाणव्रत स्वकार कर लेता है उसका आत्मा चिन्ताओं एवं पाप से बहुत कुछ मुक्त रहता है, और उसे शान्ति का अनुभव होता है। इस नकार उपभोग परिभोग परिमाणव्रत स्वकार करने पर मूलब्रतों में गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें प्रशस्तता आती है।

उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रत के अतिचार

पहले बता चुके हैं, कि उपभोग-परिभोग-परिमाण ब्रत दो प्रकार का है। यथा—

उपभोग परिभोग परिमाण वए दुविहे

मन्त्रते तंजहा भोयणाओय कम्मओय ।

अर्थात्—उपभोग परिभोग परिमाणब्रत दो प्रकार का है, भोजन से और कर्म से।

इन दो प्रकार के उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत में से भोजन सम्बन्धी ब्रत के पाँच अतिचार बताये गये हैं, * जो जानने योग्य हैं, किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं, । श्रावक को इन अतिचारों से बचते रहना चाहिए, अन्था ब्रत में मतिनतां आयगी। श्रावक लोग इन अतिचारों से बचे रह सकें, इसीलिए इनका स्वरूप बताया जाता है।

* उपभोग-परिभोग के सभी पदार्थे भोजन में गर्भित समझ लेना।

वहा भोजन मुख्य और अन्य को गौण किया है--- सम्पादक।

भोजन सम्बन्धी पाँच आतिचारों में से एहता आतिचार सचित्ताहारे हैं। सचित्ताहारे का अर्थ है सचित्त पदार्थ का आहार। जिस खान पान की चीज में जीव विद्यमान मौजूद है, च्यवे नहीं उसको सचित कहते हैं। जैसे धान, बर्ज, पृथ्वी, जल, बनस्पति आदि। ऐसी चीजें जो सचित हैं, मर्यादा होने पर भी भूल से खाना आतिचार है। इस आतिचार की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं—

कृत सचित्ताहार प्रत्याख्यानस्य कृततर्परिमाणस्य वाऽना
भोगादि प्रत्याख्यानं सचेतनं भक्षयतस्तद्वा प्रतीत्यातिक्रमादौ
वर्तमानस्य ।

* अर्थातः—जिस सचित आहार का व्याग किया है, अथवा जिसके उम्बन्ध में कोई मर्यादा विशेष की है, भूल से उस पदार्थ को खाना वह सचित्ताहारे आतिचार है। *

* आतिचार का मूल पाठ है 'सचित्ताहारे'। इस पाठ पर से व श्री हरिभद्र आवश्यक टीकानुसार यह मतलब भी निकलता है, कि श्रावक को यथा सम्भव ऐसा खान पानादि रखना चाहिए और ऐसी चीजें काम में लेना चाहिए, जो भावुकों के उपयोग में भी आ सकें। क्योंकि श्रावक, श्रमणोपासक है। श्रावक, श्रमण की सेवा उपासना तभी कर सकता है जब उसके पास श्रमण की सेवा उपासना के दोन्ही आहार, पानी, वस्त्र पात्र, शैया, संथारा, औषध और घर (भकान) आदि हों। श्रावक

दूसरा अतिचार साचित्त पढ़िवद्धाहारे । वस्तु तो अचित्त है, परन्तु उस अचित्त वस्तु को सचित्त वस्तु से सम्बन्धित रख कर खाना यह सचित्त प्रतिवद्ध आहार है । जैसे हरे पत्तों के दोने में दूध मिठाई आदि है । दूध या मिठाई तो अचित्त है, लेकिन हरा

के पास ये वस्तुएँ तभी प्रासुक और निंदोष मिल सकती हैं, जब वह स्वयं ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता हो । जो श्रावक ऐसा आहार पानी या वस्त्र पात्र आदि काम में नहीं लेता है, किन्तु ऐसी चीजें काम में लेता है जो मुनि के काम में नहीं आती, वह श्रावक साधुओं को उनके योग्य चीजें कहाँ से दे सकता है ! और साधुओं को प्रतिलाभित करके उनकी सेवा भक्ति कैसे कर सकता है ! उदाहरण के लिए, कोई श्रावक कच्चा पानी पीता है, सचित भोजन करता है, वस्त्र भी रंगीन पहनता है, औषधादि भी सचित खाता या रखता है, मकान भी पौष्टिकशाला के रूप में अलग नहीं रखता है, सोने बैठने के लिए बेत निवार या रसी से बुने हुए बड़े-बड़े पलग कुर्सी आदि रखता है और पात्र भी धातु के ही रखता है, तब वह साधुओं को ऐसी चीजें कहाँ से देगा, जो साधुओं के लिए उपयोगी हो ! फिर तो साधुओं के लिए ऐसी चीजों की उसे पृथक् व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने पर क्या सावृ लोग उन चीजों को ले सकते हैं, जो उन्हीं के लिए लाई या तैयार की गई हो ! साधु लोग वही चीजें ले सकते हैं, जो प्रासुक एषाणिक एवं अचित्त

दोना सचित है, इसलिए इस तरह का खाना अतिचार है। खाता तो है आम्रफल का निकाला हुआ रस, जो अचित है लेकिन उसके साथ सचित गुठली भी है, तो ऐसा रस खाना सचित प्रतिवद्धाहार अतिचार है।

तीसरा अतिचार 'अप्पउलि 'ओसहि' भक्खणया' अतिचार है। जो वस्तु पूर्ण पक नहीं है, यानी जो पूरी तरह पकी हुई नहीं है और जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते ऐसी अद्व-पक्व चीज खाना तीसरा अतिचार है। यद्यपि ऐसी चीज सचित नहीं है, फिर भी अद्व पकी होने के कारण मिश्र मानी जाती है। और ऐसी चीज शकास्पद तथा हानि करनेवाली होती है, इसलिए ऐसी चीज का खाना अतिचार है।

कई वस्तुएँ या तो पूरी तरह पक जाने पर ही हानि न करने वाली होती हैं, या पूरी तरह कच्ची रहने पर ही। जो वस्तु न तो

हो और ऐसी चीजे श्रावकों के यहाँ से तभी मिल सकती हैं, जब श्रावक स्वयं भी ऐसी ही चीजें काम में लेते हों। इसलिए श्रावक को उपभोग परिमोग परिमाण व्रत की मर्यादा में ऐसी ही चीजे रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जो साधु मुनिराज के उपयोग में आ सकती हों। साधु लोग श्रावकों से कायिक सेवा तो ले नहीं सकते, इसलिए श्रमणोपासक होने के नाते श्रावक साधुओं की वही सेवा कर सकते हैं, जो साधुओं के संयम में सहायक हो, अन्य क्या सेवा करे। इसलिए श्रावकों को यथा सम्भव

पूरी तरह पक्की हुई है, न पूरी तरह कच्ची है, वह वस्तु शरीर के लिए भी हानि करने वाली होती है। इसलिए भी ऐसी चीजें न खानी चाहिए।

चौथा अतिचार दुष्पोलि ओसहि भवखण्या है। जो वस्तु पक्की हुई तो है, परन्तु बहुत आधिक पक गई है और पक कर बिगड़ गई है, अथवा जिसकी बुरी तरह से पकायी गई है, जिसे पकाने की रीति धृणित है, वैसी वस्तु का खाना दुष्पोलि ओसहि भवखण्या अतिचार है। श्रावक को ऐसी वस्तु न खानी चाहिए।

पांचवाँ अतिचार तुच्छोसहि भवखण्या है। यहाँ तुच्छोषध से मतलब ऐसी चीज़ से है, जिसमें कुधा निवारक भाग कम है

अपना भी रहन सहन साधु मुनिराज की तरह का सादा स्वना चाहिए। आज साधु महात्मा को श्रावकों के यहाँ से चिर्देष वस्त्र, पात्र, औषध, भेशज आदि न मिलने के कारण उन्हे पसारी, अन्तार या वस्त्र विक्रेता की दूकानें देखना पड़ती हैं, जहाँ संघटादि कई टंटे लगते हैं। इसका कारण श्रावकों का अविवेक ही है। वैसे तो श्रावकों के यहाँ सैकड़ों रूपये की लागत के कपड़े अल्मारीयों में भरे रहते हैं, परन्तु साधु के कल्प योग्य वस्त्र उन अल्मारियों में शायद हीं मिलेगा। इसलिए श्रावक को 'श्रमणोपासक' शब्द सार्थक करने और बारहवाँ व्रत निपजाने के लिए अपना स्वयं का आचरण सुधारने की बहुत आवश्यकता है।

और व्यर्थ का भाग अधिक है। श्रावक को ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे मूँग की कच्ची फली, जिसमें पोष्टिके तत्व बहुत कम होता है और जिसका अधिक खाना भी दुधा निवारण के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसीचीजों का खाना श्रावक के लिए अतिचार रूप है।

उपभोग परिभोग परिमाणव्रत के भोजन सम्बन्धी विभाग के अतिचारों का यह स्वरूप है। श्रावक को ऊपर बताये गये इन पाँच अतिचारों से सदा बचते रहना चाहिए। अब इस व्रत के दूसरे (कर्म) विभाग के सम्बन्ध में कहा जाता है।

यहाँ कर्म का मतलब आजीविका है। आजीविका का प्रभाव उपभोग परिभोग पर और उपभोग परिभोग का प्रभाव आजीविका पर पड़ता ही है। उपभोग्य परिभोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए आजीविका करनी ही पड़ती है। यानी कोई धन्दा रोजगार करना ही पड़ता है। जिसकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई होती हैं, उसको धन्धे द्वारा अधिक आय करनी पड़ती है, और जिसकी आवश्यकताएँ कम है, उसे कम आय करनी पड़ती है, परन्तु गृहस्थ श्रावक को अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए कोई धन्धा तो करना ही पड़ता है। हाँ यह बात अवश्य है, कि जिसने अपनी आवश्यकताएँ मर्यादित कर दी है, वह थोड़ी आय से ही सन्तुष्ट रहता है तथा ऐसी रीति से आजीविका करता है

जिसमें पाप का भाग कम और धर्म का भाग आधिक हो। इसके विरुद्ध जिसकी आवश्यकताएँ बढ़ी हुई हैं, उसको बहुत आय होने पर भी सन्तोष नहीं होता, तथा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसी रीति से भी आजीविका करता है, जिसमें पाप का भाग आधिक हो और जो निषिद्ध हो।

शास्त्र में, श्रावकों के लिए पन्द्रह कायों द्वारा आजीविको-पार्जन का निषेध किया गया है। वे पन्द्रह कार्य, पन्द्रह कर्मदान के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रावक, धर्मपूर्वक ही आजीविका करसकता है। इस कथन का अर्थ यह नहीं है, कि गृहस्थ-श्रावक भीख माँग कर खावे? किन्तु जिस कार्य में महाणप नहीं है, वह कार्य करके आजीविका चलाना, धर्म की ही आजीविका कहलाती है। यद्यपि आजीविका के लिए किये जानेवाले व्यवसाय में पाप का भाग भी होता है, लेकिन किसी व्यवसाय में पाप का भाग अल्प होना है और किसी में ज्यादा। जिसमें पाप का भाग ज्यादा है उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना पाप की आजीविका है और जिसमें पाप का भाग अल्प होता है उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना धर्म की आजीविका कहलाती है। यद्यपि गृहस्थ श्रावक के लिए जो धर्म की आजीविका कहनानी है, उसमें पापका कुछ भाग होने पर भी वह आजीविका उसी प्रकार पाप की आजीविका नहीं कही जाती किन्तु धर्म की आजीविका कही जाती है, जिस प्रकार चन्द्र में थोड़ीसी कालिमा

देखने में आती है, फिर भी चन्द्र को कालेरंग का नहीं माना जाता है, न यह कहा ही जाता है कि चन्द्रमा काला है। इसी प्रकार जिन कार्यों में पाप का अंश कम है, वे कार्य भी पाप पूर्ण नहीं माने जाते, किन्तु हाइसम होने से धर्मपूर्ण माने जाते हैं। जहाँ श्रावक के आरम्भादि का वर्णन किया जावेगा, वहाँ तो यही कहा जावेगा कि श्रावक आरम्भ समारम्भ करते हैं, लोकिन एकन्दर में श्रावक की गणना धार्मिक में ही होगी। क्योंकि उसने महापाप त्याग दिया है। किसी पर एक लाख रूपये का ऋण हो, उस समय तो वह ऋणी माना जावेगा, लोकिन जिस पर एक लाख रूपये का ऋण था और जिसने उसमें से ९९९९९ रुपया चुका दिया है, उसको ऋणी कहा जाने में किसी प्रकार आपत्ति नहीं हो सकती। यद्यपि अभी उसे एक रुपया ऋण चुका ना शेर है, लेकिन एक लाख रूपयों को हाइ में रखते हुए एक रुपया कुछ भी नहीं है। उस पर जो एक रूपये का ऋण शेष है, वह नहीं के बराबर माना जावेगा और उसकी गणना अऋणी में होगी। इसी प्रकार श्रावक में पाप तो शेष है परन्तु अल्प पाप है और उसने महापाप त्याग दिया है, इसलिए उसकी गणना धार्मिक में ही होगी। इसलिए शास्त्र में श्रावकों का वर्णन करते हुए उन्हें ये विशेषण दिये गये हैं—

अप्पारम्भा, अप्पपरिग्रहा, धार्मिया,
धर्माण्या, धार्मिठा, धर्मवर्खावा

धम्पप्लोऽया, धम्पज्जलणा,
धम्पसमुदायारा, धम्पेणचेव,
वितिकप्पेमाणा विहंति ।

श्रावक के लिए जिन पन्द्रह कर्मदान का निषेध किया गया है, वे पन्द्रह कर्मदान महापाप पूर्ण होते हैं । इसीलिए श्रावक के वास्ते पन्द्रह कर्मदान निषिद्ध हैं कर्मदान शब्द 'कर्म' और 'आदान' इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका वाक्य है—

कर्मणां उत्कट ज्ञानावरणीयादिनां
पाप प्रकृतिनां आदानानीति कर्मदान ।

यानी गाढ़ कर्मों को ग्रहण करने के कारण भूत महापाप-पूर्ण होने से, पन्द्रह कार्यों को कर्मदान कहा गया है ।

गाढ़ कर्म (पाप) को ग्रहण करने के कारण भूत पन्द्रह कर्मदान इस प्रकार कहे जाते हैं—१ इङ्गाल कम्मे २ वण कम्मे, ३ साड़ी कम्मे, ४ भाड़ी कम्मे, ५ फोड़ी कम्मे, ६ दन्त वणिज्जे, ७ लख वणिज्जे, ८ रस वणिज्जे, ९ विस वणिज्जे, १० केस वणिज्जे, ११ जन्त पीलण कम्मे, १२ निलंछण कम्मे, १३ दव, गग्दावाणिया कम्मे, १४ सरदहदलाय शोपणया कम्मे, १५ असहजण पीसणया कम्मे ।

ये पन्द्रह कर्मदान महान् कर्म बन्ध के हेतु हैं । इनमें से कुछ कर्मदान तो ऐसे हैं, जो लोकिक में भी नित्य माने जाते

है और जिनके करने से सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। साथ ही ये कर्मदान परलोक भी विगाहने वाले हैं। नीचे इन पन्द्रह कर्मदानों पर मिच्च-मिच्च प्रकाश डाला जाता है।

१ इङ्गल कर्म, यानी अङ्गार कर्म। अङ्गार कर्म से मतलब है, कोयले बना कर बेचना और इस प्रकार जीविका चलाना। इस कार्य में छः काय के जीवों की बहुत विराधना होती है और लाभ कम होता है। कोयले के लिए बड़े-बड़े हरे वृक्ष काट डाले जाते हैं, जिससे बन का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट होता है। इसके सिवा जो वृक्ष काट डाले जाते हैं, वे यदि न काटे जावे तो उनके द्वारा मिलने वाला स्वास्थ्य बद्धक पवन भी मिले और सूखने पर लकड़ी भी मिले। आज कल बड़े-बड़े वृक्षों को तो काट डाला जाता है, और घर पर कुँडों में वृक्ष के दो चार पौधे लगा कर उनसे ओक्सिजन (स्वास्थ्य बद्धक पवन) की आशा की जाती है। लेकिन ऐसे कुँडों से कितना ओक्सिजन मिल सकता है! इसके सिवा ऐसे कुँडों से संसार के सभी लोगों का काम नहीं चल सकता। संसार के लोगों का काम वन के वृक्षों से ही चलता है! वृक्ष, खराब हवा अपने में से खीच कर, उसके बदले अच्छी हवा छोड़ते हैं, जिससे संसार के लोग जीवित रहते हैं। ऐसे उपकारी वृक्षों को कोयले के लिए काट डालना महान् पाप है।

२ वणकस्मे, यानी बन कर्म। जंगल से लकड़ी वांस आदि

काट काट कर बैंचने का नाम वन कर्म है। इस कार्य से तत्काल और परम्परा पर बहुत हानि होती है। वन में रहने वाले कई पंचेन्द्रियादि व्रस जीवों का नाश होता है तथा वन का प्राकृतिक सौन्दर्य भी नष्ट होता है। वन द्वारा पशु-पक्षियों को जो आधार मिलता है वह आधार छूट जाता है। ऐसा अनर्थकारी व्यापार श्रावक के लिए त्याज्य है।

कई लोग जंगल का ठेका ले लेते हैं और जंगल के बृक्ष काट कर तथा बैंच कर आजीविका करते हैं। इस व्यवसाय की गणना 'वन कर्म' में ही है। श्रावक के लिए यह व्यवसाय त्याज्य है।

३ साड़ी कर्म, यानी साटिक कर्म। बैल-गाड़ी या घोड़ा-गाड़ी आदि द्वारा भाड़ा कमाना, अथवा शकट यानी गाड़ा गाड़ी आदि वाहन बनवा बनवा कर बैंचना या किराये पर देना साड़ी कर्म है। इस कार्य से परम्परा पर पंचेन्द्रिय जीवों को महान् त्रास होता है, जो महापाप का कारण है। अतः श्रावक को ऐसे कार्यों द्वारा आजीविका न करनी चाहिए।

भाड़ी कर्म, यानी भाड़ी कर्म। जिस तरह इंगाल कर्म और वन कर्म का परस्पर सम्बन्ध है, उसी तरह साड़ी कर्म और भाड़ी कर्म का भी आपस में सम्बन्ध है। साड़ी कर्म में गाड़ा-गाड़ी आदि वाहन मुख्य है; और भाड़ी कर्म में पशु यानी घोड़े जॅट, भैंसे, गधे, खच्चर, बैल आदि मुख्य हैं। इस ताह के

पशुओं को भाड़े पर देकर उस भाड़े से आजीविका चलाना भाड़ी कर्म द्वारा आजीविका चलाना है। श्रावक, पशुओं द्वारा अपना मर्यादित बोझ तो दुलबा सकता है, परन्तु बोझ ढोने के लिए दूसरे को पशु भाड़े से देना श्रावक के लिए निषिद्ध है। क्योंकि भाड़े पर लेने वाले लोग, अपने लाभ के सन्मुख पशुओं की दया की उपेक्षा कर डालते हैं।

५ फोड़ो कृष्ण, यानी फोड़ी कर्म। हल, कुदाली, सुरंग आदि से पृथ्वी को फोड़ना और उसमें से निकले हुए पत्थर, मिट्ठी, धातु आदि खानिज पदार्थ को बेचना 'फोड़ी कर्म' है। अथवा जमीन खोदने का ठेका लेकर जमीन खोदना और इस प्रकार आजीविका करना फोड़ी कर्म द्वारा आजीविका करना है। श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है।

कई लोग कृषि कर्म को भी फोड़ी कर्म में मानते हैं और कहते हैं, कि खेती करने में हल द्वारा भूमी खोदनी पड़ती है, इसलिए खेती करना भी फोड़ी कर्म है। परन्तु यह कथन गलत है। खेती करना फोड़ी कर्म नहीं है। आजीविकार्थ खानिज पदार्थ निकालने के लिए भूमी खोदना फोड़ी कर्म है, खेती के लिए भूमी खोदना फोड़ी कर्म नहीं है। यदि कृषि कर्म की गणना फोड़ी कर्म में होती तो आनन्द आदि श्रावक खेती कैसे कर सकते थे। भगवती सूत्र में भगवान का कथन है, कि मेरे श्रावक

कर्मदान के विकरण से त्यागी होते हैं, और आनन्द श्रावक का श्रावकपना भगवान ने रवीकार किया है। ऐसी दशा में यदि कृषि कर्म की गणना फोड़ी कर्म अथवा कर्मदान में होती, तो आनन्द-तथा दूसरे-श्रावक खेती न करते और यदि करते रहे तो उनकी गणना आदर्श श्रावकों में न होती, न भगवान उकका श्रावक पना ही स्वीकार करते। आनन्द श्रावक खेती करता था, यह बात शास्त्र में स्पष्ट है। आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए। कहा गया है कि आनन्द श्रावक ने भूमि से उत्पन्न अन्न आदि ढोने के लिए पाँच सौ गाड़े मर्यादा में रखे। इस विषय में टीकाकार कहते हैं -

संवाहनं क्षत्रोदिभ्य स्तृण काषधान्यादिगृहा-
दावानयनं तत्प्रयोजनानि संवाहनिकानि ।

इन सब बातों से स्पष्ट है, कि आनन्द श्रावक खेती करता था, अन्यथा खेती से उत्पन्न अन्न ढोने के लिए पाँच सौ गाड़े मर्यादा में क्यों रखता। इस प्रकार यह सिद्ध है, कि कृषिकर्म की गणना फोड़ी कर्म में नहीं है।

ये पाँच कर्म हुए। अब पाँच निषिद्ध वाणिज्य बताए जाते हैं जिनकी गणना पन्द्रह कर्मदान में है।

६ दन्तवणिजे, यानी दाँत का व्यापार। हाथी दाँत लाने वाले लोगों से दाँत खरीद कर बेचना दन्तवाणिज्य है। ऐसे ऐसे लोगों को यदि दाँत लाने का आड़ेर दिया जावेगा, उनसे दाँत लेने का सौदा किया जावेगा, अथवा उनके लाये हुये दाँत

खरीदे जावेंगे, तो वे लोग हाथियों को मार कर दांत लावेगे यह स्वभाविक है। इसलिए श्रावक के लिये ऐसा वाणिज्य त्याज्य है।

दन्तवाणिज्य में उपलक्षण से शंख, हड्डी अथवा ऐसी ही उन दूसरी चीजों के वाणिज्य का भी समावेश हो जाता है जो इसी श्रेणी की होती है और त्रस जीवों की हिंसा द्वारा प्राप्त की जाती है।

७ लक्खवाणिज्जे, यानी लाख का व्यापार है। लाख, बृक्षों का रस (मद) है। लाख निकालने में त्रस जीवों की बहुत हिंसा भी होती है, और लाभ भी अधिक नहीं होता। इसलिए श्रावक के लिये ऐसा व्यवसाय त्याज्य है।

८ रस वाणिज्जे, यानी रस का व्यापार है। यहां रस से मतलब मादिरा है। जो पदार्थ मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं, जिन पदार्थों के सेवन से बुद्धि नष्ट होती है, उन पदार्थों की गणना मद यानी मादिरा में है। ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाला मनुष्य अनन्य कर डालता है। मादिरा के सेवन से कैसे २ अनन्य होते हैं, यह बताने के लिए कहा गया है कि—

वालिकां युवतीं वृद्धां, ब्राह्मणीं स्वपचामपि ।

भूक्ते परस्त्रियं सद्यो मध्योन्मादकदर्थितः ॥ १ ॥

विवेकः संयमोज्ञानं सत्यं शौचं दया क्षमाः ।

माद्यात्प्रलीयते सर्वं वृण्णवाहि कणादपि ॥ २ ॥

इन बातों को हाषि में रख कर ही आवक के लिय रस-बाणिज्य त्याज्य बताया गया है।

शकर, गुड़, धूत, तेल, दूध, दही आदि के व्यापार को रस बाणिज्य में बताना असंगत है। रसबाणिज्य किसे कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि:—

रसबाणिज्य सुरादि विक्रयः ।

इसमें सुरा (मादिरा) तथा ऐसी ही दूसरी चीजों के बैचने को रस बाणिज्य में बताया गया है, दूध, दही आदि बैचने को नहीं। गुड़, धूत, दूध, दही आदि पदार्थ मनुष्य वे लिए हितकारी हैं और जीवन को पुष्टि देने वाले हैं। इसलिए इनका व्यवसाय इस कोटि का निन्द्य अथवा त्याज्य नहीं है।

९ विमवाणिज्जे, यानी विष का व्यापार है। अफीम, संखिया आदि जीवन नाशक पदार्थों की गणना विष में है। जिनके खाने या सूधने से मृत्यु हो जाती है, ऐसे विषले पदार्थों का व्यवसाय हानिप्रद है, इस इसलिए आवक ये व्यवसाय न करे। लौकिक में भी ऐसे विष पदार्थ के क्रय विक्रय पर सरकार का नियन्त्रण रहता है, और यदि कोई व्यक्ति विष खाकर मर जाता

अर्थात्—मदिरा पीकर उन्मत्त बना हुआ मनुष्य, बालिका, युवती, बृद्धा, ब्राह्मणी या भूमिन आदि का विचार भूल कर पर-स्त्री भोगता है। मदिरा पीने वाले का विवेक, संयम, ज्ञान, सत्य, पवित्रता, दया और कृपा उसी प्रकार नष्ट हो जाती है; जिस प्रकार आग पड़ने पर वास का पुंज जल जाता है।

है अथवा किसी दूसरे को मार डालता है, तो जिसके यहाँ से वह विष खरीदा गया है वह व्यापारी भी न्यूनाधिक अंश में अपराधी माना जाता है।

१० केसवाणिज्जे, यानि केश-व्यापार है। यहाँ केश वाणिज्य से मतलब सुन्दर केश वाली दासियों का क्रय विक्रय करना है। पूर्व समय में अच्छे केश वाली स्त्रियों का क्रय विक्रेय होता था, और ऐसी स्त्रियाँ दासी बना कर भारत से बाहर युनान आदि देशों में भी भेजी जाती थीं। प्राचीन काल में दासियों का क्रय विक्रय राज्य का अपराध नहीं माना जाता था। इससे भारत में भी दासियों का व्यापार होता था। इसका प्रभाण है, कौशाम्बी में सती चन्दन बाला का और काशी में महारानी तारा का क्रय विक्रय होना। यह व्यवसाय निन्द्य है, इसलिए श्रावक इस तरह के व्यवसाय द्वारा आजीविका न करे।

आज कल के लोगों ने सरकारी कायदे से विवश होकर दास दासी का क्रय विक्रय चाहे त्याग दिया हो, लेकिन जहाँ तक सुना जाता है, आज कल दास दासी के क्रय विक्रय का स्थान चर कन्या के क्रय विक्रय ने ले लिया है। इस मानव विक्रेय की प्रथा के कारण स्वरूप है धनिक लोग; कन्या के बदले में या चर के बदले में द्रव्य वे ही लोग देते हैं अथवा दे सकते हैं, जिनके पास द्रव्य है। धनिकों को जब तीसरी चौथी पत्नी बनाने के लिये किसी की कन्या की आवश्यकता होती है,

तब वे रूपये के बल से किसी गरीब की कन्या खरीदते हैं। पहले या दूसरे विवाह के समय तो धनिक लोग गरीबों से घृणा करते हैं, उनकी लड़की लेने की बात चार्चात् करना भी अपमान की बात समझते हैं और धनवान की लड़की लेना ही पसन्द करते हैं, लोकिन दूसरे तीसरे या चाँथे विवाह के समय जब कि आयु अधिक हो जाने के कारण कोई धनिक अपनी कन्या नहीं देता है तब गरीब से जातीय समता का सम्बन्ध बता कर और उन्हें प्रलोभन में डाल कर यानी रूपये देकर उनकी कन्या ले लेते हैं। यही बात वर विक्रय की है। धनिक लोग, अपने लड़के को एक प्रकार से नीलाम पर चढ़ा देते हैं और जो अधिक धन देना स्वीकार करता है, उसी की कन्या से अपने लड़के का विवाह करते हैं। धनिकों के इस वर कन्या के क्रय विक्रय से समाज में बहुत ही विषमता उत्पन्न हो गई है, जो दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे व्यवहार के कारण समाज में एक ओर नो बहुत से गरीब, लड़की न मिलने के कारण आविवाहित रह जाते हैं और दूसरी ओर विधवाओं की सख्त बढ़ जाती है। ऐसे समाज के लोग मिल कर इसके लिए कोई नियम बनावें, नो यह मानव विक्रय की प्रथा भी नष्ट हो सकती है और इस प्रथा के कारण होने वाला अनिष्ट भी रुक सकता है। भगवान ने जब दास दासी का क्रय विक्रय भी त्याजन बताया है और राजकीय व्यवस्था से भी दास दासी का क्रय पिक्रय निषिद्ध है, तब वर

कन्या का बैचना उचित कौसे हो सकता है ! यह बात तो बहुत लोगों के अनुभव की ही होगी, कि जिस कन्या के बदले में सूप्या ले लिया जाता है, उस कन्या सूप्या देने वाले की दृष्टि में एक गृहिणी या कुल ब्रह्म की सी प्रतिष्ठा नहीं रहती, किन्तु उसको ठीक मोल ली हुई दासी की तरह ही माना जाता है। इसलिए श्रावक को इस तरह का व्यवसाय कदापि न करना चाहिए *

कई लोग केसवणिज्जे में जंत या ऊनी वस्त्र का व्यवसाय भी बताते हैं, लेकिन जन या ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को केशवाणिज्जे में बताना असंगत है। टीक्काकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि केशवाणिज्य किसे कहते हैं।

ये पाँच प्रकार के व्यापार निषिद्ध हैं। अब आगे पाँच श्रेकार के और निषिद्ध कर्म बताये जाते हैं।

११ जंत पीलणिया कर्म। यानी यन्त्र द्वारा पूलने का कर्म। कोलहू द्वारा तिल या गन्ना आदि का तेल दा रस निकालने का धन्या करना जंत पीलणिया कर्म कहा जाता है। श्रावक

* आजबत्त अनेक तोग वर-कन्या क्रय विक्रय की ढलाली करते हैं, तथा ऐसा कार्य करते हुए भी स्वयं वो जैन धर्माभिमानी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा व्यक्ति जैन धर्म वो वद्वान करने वाला है। जो वस्तुतः जैन धर्माभिमानी है, वह ऐसे निष्य कार्य द्वारा कदापि अर्जाविका नहीं कर सकता।

को इस धन्धे द्वारा आजीविका न करना चाहिए। क्योंकि इस धन्धे में अनेक त्रस जीवों की हिंसा का सम्भव है।

जन्त पीलगिया कम्मे का रूप बताते हुए टीकाकार ने तेल या रस निकालने के लिये कोल्हू चला कर आजीविका करना ही बताया है। इससे स्पष्ट है, कि उस समय भारत में यन्त्र के नाम पर केवल गन्धा या तिल पीलने के देशी कोल्हूओं का हो प्रचलन था, और कोई यन्त्र अस्तित्व में न थे। अन्यथा टीकाकार उन का भी उत्स्थेख करते ही। पूर्व समय में जब कि भारत आधुनिक यन्त्रवाद से बचा हुआ था, तब यह देश बहुत सम्पन्न था और लोगों का जीवन शान्ति पूर्वक व्यतीत होता था, उस समय भारत का धन भी विदेशों को नहीं जाता था, तथा श्रमजीवी लोगों के लिए श्रम करने का भी विस्तृत रहता था। इस कारण किसी को भूखों भी न मरना पड़ता था, और लोगों का जीवन भी स्वावलम्बी था। लोकिन जब से भारत में यन्त्रवाद का प्रचार हुआ है, तब से कुछ थोड़े से लोग तो अवश्य धनवान बने होंगे, लोकिन साधारण लोगे आजीविका होने निरुद्यमी और परावलम्बी हो गये हैं। संसार में नड़ों भूखों की संख्या यन्त्रवाद ने ही बढ़ाई है। इस प्रकार यन्त्रवाद के आधिक्य से भारत का धन विदेशों में जा रहा है, और भारत दिन प्रतिदिन कंगाल तथा प्रतित होता जा रहा है। यन्त्रवाद से होने वाली ऐसी हानियों को दृष्टि में रखकर ही भगवान ने इस व्यवसाय को

कमर्दान में बताया है ।

कोई कह सकता है, कि यदि गन्ध या तिल (जिसमें से तेल निकलता है) पीलना कमर्दान में है, तब कोई कृषक जैन धर्म कैसे स्वीकार कर सकता है ! क्योंकि कृषक गन्ध की भी कृषि करता है, तथा तिल की भी । इसलिए उसके लिए कोल्हू की सहायता लेना आवश्यक है ! इस प्रकार के कथन का उत्तर यह है, कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोल्हू का उपयोग करने में और कोल्हू का धन्धा करने में बहुत अन्तर है । भगवान् ने कोल्हू के धन्धे को ही कमर्दान में बताया है ।

१२ निलच्छण कम्मे, यानी पशुओं को खसी (नपुंसक) करके आजीविका करना है । श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है ; इस व्यवसाय से पशुओं को दुःख भी होता है और उनकी नस्ल भी खराब होती है ।

१३ दवग्गीदावणिया कम्मे, यानी बन दहन करना है । भूमि साफ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए बहुत से लोग आग लगा कर भूमि के ऊपर का जड़ल जला देते हैं और इस प्रकार भूमि साफ करते या कराते हैं तथा इस प्रकार आजीविका करते हैं । लेकिन इस कार्य से बहुत जीवों की हिसा होती है, इसलिए श्रावक के लिए यह व्यवसाय त्याज्य है ।

१४ मर दह तलाव सोसणिया कम्मे, यानी तालाव नदी आदि के जल का सुखाना । कई लोग तालाव नदी आदि

का पानी सुखा कर वहाँ की भूमी को कृषि करने योग्य बानाने का धन्धा किया करते हैं। इस धन्धे के कारण जल में रहने वाले जीव मर जाते हैं, इसलिए श्रावक के बास्ते ऐसा धन्धा त्याज्य है।

१५ असहजण घोमणिया कम्बे, यानी असतियों का पोषण करके उनके द्वारा आजीविका बलाना। कई लोग कुल्टा स्त्रियों का इसलिए पोषण करते हैं, कि उनसे ब्रानिचार कराकर द्रव्य प्राप्त किया जावे। यह धन्धा महान् पापमूर्ण एवं विन्द्य है, इसलिए श्रावकों के लिए सर्वथा त्याज्य है।

ऊपर बताये गो दस कर्म और पाँच घाणिज्य, ये पन्द्रह कर्मदान हैं। श्रावक के लिए ये पन्द्रह कर्मदान सर्वथा त्याज्य हैं। कोई कड़ सकता है, कि संगर में ऊपर बताये नये व्यवसाय तो होते ही है, और यदि श्रावक न करे तब भी ये व्यवसाय होगे ही, फिर श्रावकों को इन व्यवसायों द्वारा होने वाले लाभ से क्यों वंचित रखा जाता है! बल्कि यदि ये कार्य श्रावक करेगे, तो अन्य लोगों की अपेक्षा श्रावक लोग कुछ तो पाप टालेगे ही, इस प्रकार के कथन का उत्तर यह है कि वैसे तो संसार में सभी पाप होते हैं, लेकिन इस कारण यह युक्ति संगत नहीं हो सकती, कि श्रावकों के न करने पर भी वे पाप तो होगे ही, इसलिए श्रावकों को उन कामों के लोभ से क्यों वंचित रखा जावे! संसार में पाप होते हैं, इसी कारण श्रावकों को पाप से बचने का उपदेश दिया जाता है। श्रावकों के करने पर भी

पाप पूर्ण कार्य तो होते ही हैं, इस चात को दृष्टि में रखकर यह विधान नहीं किया जा सकता कि पाप करना चाहिए। कोई पापपूर्ण कार्य संसार में चाहे कि भी भी रूप में होता हो, श्रावक को तो वैसे कार्य से बचने का ही उपदेश दिया जायगा। यह नहीं हो सकता, कि संसार में वह पाप-कार्य होता है, इसलिए उसे अनिषिद्ध माना जावे। उदाहरण के लिए संसार में मांस का व्यवसाय होता ही है, लेकिन क्या इस कारण श्रावकों के लिए मांस का व्यापार निषिद्ध न होना चाहिए? जो कार्य पाप है, निन्द्य है; श्रावक को उससे बचने के लिए ही उपदेश दिया जावेगा, फिर वह कार्य संसार में कितना ही फायदेमन्द क्यों न होता हो! इसी के अनुसार पन्द्रह कर्मदान में बताये गये कार्य संसार में कितने भी क्यों न होते हों, लेकिन श्रावक को वे कार्य कदापि न करने चाहिएँ। क्योंकि वे कार्य महान् पाप द्वारा होते हैं। ये कार्य यदि विलकुल ही बन्द हो जावें, तो इनके बन्द होने से संसार के लोगों का कोई काम नहीं रुक सकता। उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी कोयला बनाकर बेचने या जंझल से लकड़ी काट कर बेचने का धन्या न करे अथवा किसी से न करावे, तो इससे संसार के लोगों का क्या काम रुक सकता है! जिस लकड़ी या कोयले की आवश्यकता होगी, वह स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। कर्मदान में बताये गये व्यवसायों में जितना अधिक पाप होता है, उतना अधिक आर्थिक

लाभ भी नहीं होता । इसके सिवा ये व्यवसाय, प्रकृति का साँन्दर्य नष्ट करने वाले एवं जनता को प्राकृतिक लाभ से बंचित रखने वाले भी हैं । उदाहरण के लिए किसी आंदमी ने जगल की लकड़ी का टेका लिया । वह अपने टेके के जंगल में से अधिक से अधिक लकड़ी काटेगा, जिससे उस जंगल का साँन्दर्य भी नष्ट होता है तथा वृक्षों के कट जाने से जनता को उतना औंकिसजन भी नहीं मिल सकता, जितना औंकिसजन कि वृक्षों के रहने पर मिल सकता है । इन सब बातों को दृष्टि में रख कर श्रावकों को महान पाप से बचाने एवं उन्हे सामाजिक प्रतिष्ठिता प्राप्त कराने के लिए ही भगवानने श्रावकों के लिए कर्मादान में बताये गये कार्य निष्पद्ध कहे हैं । कर्मादान में बताये गये व्यवसाय करने वाला समाज की दृष्टि में भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता ।

पन्द्रह कर्मादान का त्याग, श्रावक के मूल ब्रतों से गुण उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही बुद्धि को निर्मल तथा चिन्त में समाधि रखने वाला है और आत्मा को कल्याण की और बढ़ानेवाला है । इसलिए श्रावक को इन पन्द्रह कर्मादान का त्याग करना चाहिए । इनके द्वारा आजीविका न करनी चाहिए ।

पन्द्रह कर्मादान, सातवें ब्रत के अतिचारों में हैं । सातवें ब्रत के २० अतिचार हैं जिनमें से १५ अतिचार १५ कर्मादान ही कहाते हैं और इन से पहले पाँच अतिचार दूसरे बताये गये हैं । श्रावक को इन २० अतिचारों से बचते रहना चाहिए ।

श्रावण के दिन है इसके बारे में यह कहा जाता है कि श्रावण
से तामने ब्रह्म का अवलोकन करता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि
दरड़ किसे जहाँ है, उह दरड़ के लिए विचार करता है।

परिपात्तादि विषय से दरड़ के लिए विचार करता है।
दरड़—स्थिति दरड़ विषय से दरड़ के लिए विचार करता है।
दरड़ोऽस्य दरड़ः विषय से दरड़ के लिए विचार करता है।
प्रयोजन देखने के लिए दरड़ के लिए विचार करता है।

या शरण प्राप्ति के लिए दरड़ के लिए विचार करता है।
पहला है, यह कुछ दृष्टिकोण से दरड़ है। यह विचार करता है कि दरड़ का
ये चर ग्रन्थ है। यह विचार करता है कि दरड़ का लिए विचार करता है।
दरड़ है। दूसरा का लिए विचार करता है कि दरड़ का लिए विचार करता है।
के लिए विचार करता है। (दूसरा) के लिए विचार करता है। दूसरा के
विपरीत दरड़ है। दूसरा के लिए विचार करता है। दूसरा के लिए विचार करता है।

अन्य दरड़ है।

टीकाकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि अर्थ दण्ड किसे कहते हैं और अनर्थ दण्ड किसे कहते हैं। टीकाकार द्वारा बताये गये किसी आवश्यक कार्य के आरंभ समारंभ में त्रस और स्थावर जीवों को जो कष्ट होता है वह अर्थ दण्ड है और निष्कारण ही विना किसी कार्य के केवल हास्य कौतूहल अविवेक या प्रमाद वश जीवों को कष्ट देना अनर्थ दण्ड है। जैसे कोई आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिये जा रहा है। उसने चलते चलते निष्कारण ही किसी वृक्ष पर कुल्हाड़ी मार दी। अथवा कोई आदमी हाथ में कुदाली लिए जा रहा है। उसने व्यर्थ ही जर्मान पर कुदाली मारदी। इसी तरह किसी के हाथ में लकड़ी होने से बैठे हुए जानवर पर मारदी तो यह अनर्थ दण्ड है। इस तरह के अनर्थ दण्ड से निवृत होना, ऐसे अनर्थ दण्ड को त्यागने की प्रतिज्ञा करना, अनर्थ दण्ड विरमण व्रत है।

अनर्थ दण्ड विरमण व्रत स्वीकार करने का उद्देश्य यह है, कि श्रावक ने मूल व्रत स्वीकार करते समय जिन वातों की छूट रखी है, जिन वातों का आगार रखा है, उस छूट का उपयोग करने में अर्थ अनर्थ यानि सार्थक और निरर्थक का अन्तर समझ कर निरर्थक उपयोग से बचना। मूल व्रत स्वीकार करते समय जो छूट रखी गई है, उन छूट यानि आगारों को दिक् परिमाण व्रत स्वीकार करके क्षेत्र से मर्यादित किया जाता है। उपयोग परिमोग परिमाण व्रत स्वीकार करके पदार्थ से मर्यादित किया

जाता है और अनर्थ दरड विरमण ब्रत उन छूटों को क्रिया यानी कार्य के आविवेक से मर्यादित करता है। दिक् परिमाण ब्रत से यह मर्यादा की जाती है, कि मैं इस सीमा के भीतर ही छूट का उपयोग करूँगा, इस सीमा के बाहर छूट का उपयोग न करूँगा। उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत में यह मर्यादा की जाती है, कि मैं मूल ब्रत से रखी गई छूट का उपयोग इन पदार्थों के सम्बन्ध में ही करूँगा, इन पदार्थों के सिवा और किसी पदार्थ के सम्बन्ध में छूट का उपयोग न करूँगा, और उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले व्यवसायों में से अमुक-अमुक व्यवसायों में (जो पन्द्रह कर्मदान कहे जाते हैं) छूट का उपयोग न करूँगा। यानी ये व्यवसाय न करूँगा। अनर्थ दरड विरमण ब्रत द्वारा यह मर्यादा की जाती है, कि मैं छूट का निरर्थक उपयोग न करूँगा। इस प्रकार अनर्थ दरड विरमण ब्रत का उद्देश्य अर्थ अनर्थ को जान कर अनर्थ से बचना है निष्कारणही किसी त्रस या स्थावर जीवोंको कष्ट देने से बचना है। अर्थात् यह कार्य मेरे लिए आवश्यक हैं या नहीं, इस बात का विवेक करके उन कार्यों से बचना है, जिनके किये बिना अपनी कोई आवश्यकता नहीं रहती है और जिन के करने से किंहीं जीवों को निष्कारण ही कष्ट होता है।

आवक जब तक गृहस्थावस्था में है, कौटुम्बिक जीवन में फँसा हुआ है, तब तक उसे जीवन की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, कुटुम्ब के सरण पोंशण के लिए और इसी

तरह अन्य कायों के लिये कहींतरह के कार्य करने पड़ते हैं। उन कायों के करने में आरम्भ समारम्भ का होना अवश्यम्भावी है। इस प्रकार श्रावक को आरम्भ समारम्भ तो करना ही पड़ता है। लेकिन श्रावक होने के कारण इस बात का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है, कि मेरे द्वारा वही कार्य हो, मैं उसी आरम्भ समारम्भ में पड़ुं जिसका करना मेरे लिए आवश्यक है, और जिसके करने से मेरा कोई उद्देश्य पुरा होता है। इस तरह का ध्यान रख कर उसे ऐसा कोई कार्य न करना चाहिये, जिससे किसी उद्देश्य विषेश की पूर्ति नहीं होगी, जिसके किये बिना कोई आवश्यकता नहीं रखती, और जो केवल प्रमाद, कौतूहल अथवा रुढ़ी परम्परा के कारण किये जाते हैं। श्रावक के लिए आरम्भ या हिंसा खुली है, फिर भी श्रावक इस छूट का उपयोग केवल सार्थक कायों में ही कर सकता है, निरर्थक कायों में नहीं कर सकता। इसलिए श्रावक को प्रत्येक कार्य के विषय में यह विचार कर लेना चाहिए, कि मेरे द्वारा किया जाने वाला यह कार्य मेरे किस आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करता है, मेरा यह कार्य सार्थक है या निरर्थक और इस तरह का विवेक करके उसे उन कायों से सर्वथा बचना चाहिए जो किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, किन्तु निरर्थक हैं। इस तरह के निरर्थक कार्य चाहे रुढ़ि परम्परा के नाम पर किये जाते हों, अथवा और किसी कारण से। श्रावक को तो अनन्ध दरण विरमण व्रत स्वीकार

करके ऐसे निरर्थक कार्य त्याग ही देने चाहिएँ ।

आज कल रुद्धि परम्परा के नाम पर ऐसे अनुचित कार्य भी किये जाते हैं, जो किसी तरह लाभप्रद होने के बदले हानिप्रद ही होते हैं । ऐसे कामों का किया जाना रीति रिवाज में माना जाता है । उनके औचित्य अनौचित्य पर विचार तक नहीं किया जाता न यही देखा जाता है, कि इन कार्यों से किसी उद्देश्य की भी पूर्ति होती है या नहीं और ये कार्य सार्थक हैं या निरर्थक । इस तरह के अनेक कार्य तो ऐसे भी हैं, जिनके करने से धन, जन, स्वास्थ्य और सम्यता नष्ट होती है, फिर भी उन कार्यों को नहीं त्यागा जाता । बालिक यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्यों को त्यागने के लिये कहता है, अथवा इस के लिये कोई प्रयत्न करता है, तो ऐसा करने वाले पर अनेक दोषारोपण कर दिये जाते हैं, उसे प्राचीनता तथा परम्परा का नाशक कहा जाता है और जिस तरह बनता है उसे हतोत्साह कर दिया जाता है । यही कारण है, कि आज यह भारत, रुद्धि परम्परा के नाम पर पातित होता जा रहा है । इस तरह के कामों के औचित्य अनौचित्य के विषय में, दूसरे लोग विचार करें या न करें, और जो अनुचित निरर्थक अथवा हानिप्रदकार्य है उन्हें त्यागें, या न त्यागें लोकिन श्रावक को तो इस विषयक विवेक करना ही चाहिए, और रुद्धि के गुलाम न नह कर इन कामों को त्यागना ही चाहिए, जो अनुचित हानि प्रद अथवा

निर्थक हैं। ऐसा करने पर श्रावक हानि से भी बच सकता है, व्यर्थ के कर्म बन्ध से भी बच सकता है, चित्त को समाधि समाधि भाव में भी रख सकता है, और मूल व्रतों का पूरी तरह पालन करने से भी समर्थ हो सकता है। इस तरह के व्यर्थ यानी निर्थक कामों से बचना, यही अनर्थ दण्ड से बचना है। इस लिए अनर्थ दण्ड के पाप से बचने की इच्छा रखने वाले श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में अर्थ और अनर्थ का विचार कर लेना चाहिए तथा अनर्थ दण्ड का सर्वथा त्याग करके अर्थ दण्ड के सम्बन्ध में विवेक से काम लेना चाहिए।

जिस व्यक्ति ने जहाँ तक पूर्णतया त्यागवृत्ति धारणा नहीं की है, उस व्यक्ति को जीवन निवाह के लिए अथवा यृह कार्य चलाने के लिए अर्थ-दण्ड का पाप करना ही पड़ता है। यह पाप आलस्य में पड़े रहने, उद्योग त्याग देने अथवा अकर्मण्य वन बैठने से नहीं छूटता किन्तु तभी छूटता है जब पूर्णतया त्याग-वृत्ति धारणा की जावे। लेकिन जब तक पूर्णतयागवृत्ति रवीकार नहीं की है, तब तक अपूर्णविस्था में अल्पपाप और महापाप का विवेक करके महापाप से तो बचना चाहिए। यह व्रत विशेषतः इसी वात की प्रतिज्ञा कराता है, कि मैं प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में विवेक करूंगा और अनर्थ दण्ड से बचूंगा। इस व्रत का

उद्देश्य प्रत्येक कार्य के विषय में विवेक करके अनर्थदण्ड से बचना यानि इस प्रकार व्यर्थ के पाप से आत्मा को बचाये रखना है।

अर्थ दण्ड और अनर्थ-दण्ड की व्याख्या कुछ विचित्र सी है। जो कार्य एक व्यक्ति के लिए अर्थदण्ड है, वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए अनर्थ दण्ड हो सकता है। इसलिए इस विषयक कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, कि कौनसा कार्य अर्थ दण्ड है, और कौनसा अनर्थ दण्ड है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्यों की परिस्थिति एकसी नहीं होती प्रथक् प्रथक् होती है। अतः इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपने विवेक की सहायता से कर सकता है।

शास्त्रकारों ने अनर्थ दण्ड के प्रधानतः चार भेद किये हैं। वे कहते हैं।

अणत्था दण्डे चउविहे पणते तंजहा, अवज्ञाणाचरिए;
पमायाचरिए हिंसप्पाणे, पावकम्मोचएसे।

अर्थात्—अनर्थ दण्ड चार प्रकार का होता है, अपध्याना चरित, प्रमादा चरित, हिंसा में सहायक होना और पाप कर्म का उपदेश देना।

अनर्थ दण्ड के शास्त्रकारों ने जो चार भेद किये हैं, उनमें से पहला भेद अपध्याना चरित अनर्थ दण्ड है। अपध्यान किसे कहते हैं, इसके लिए कहा है, कि:—

अप्रशस्त ध्यानसंध्यानम्।

अर्थात्— जो अप्रशस्त यानी बूरा है वह ध्यान अपध्यान कहलाता है।

ध्यान का अर्थ है, अन्तर महूक्ति मात्र किसी प्रकार के विचारों में चित्त की एकाग्रता होना। निरर्थक वुरे विचारों में चित्त एकाग्रता करने से जो अनर्थदरण्ड होता है, शास्त्रकार उसे अपध्यान चारिति, अनर्थदरण्ड कहते हैं। यानि वुरे विचारों से होने वाला अनर्थदरण्ड।

अपध्यान के शास्त्रकारों ने आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दो भेद किये हैं। अर्तध्यान 'आ' और 'ऋत' इन दो शब्दों से बना है। ऋत का अर्थ दुःख है। ऋत शब्द में 'आ' उपसर्ग लगा कर ऋत को प्रबल बनाया गया है। इस प्रकार आर्तध्यान का अर्थ दुःख के कारण उत्पन्न वुरे विचारों में मन को एकाग्र करना है। शास्त्रकारों ने आर्तध्यान के भी निम्न चार भंद किये हैं—

अमणुन्न संपत्रोग संपउत्ते तस्सविष्पत्रोगस तिसमरणा गते यावि भवई, १ मणुन्न संपत्रोग संपउत्ते तस्स आविष्पत्रोगस तिसमरणागते यावि भवई, २ आयंक संपत्रोग संपउत्ते तस्स विष्पत्रोगस ति समरणागते यावि भवई, ३ परिजुसित काम भोग संपउत्ते तस्स आविष्पत्रोगस ति समरणागते यावि भवई ४।

(स्थानाङ्ग सूत्र चतुर्थस्थान)

ऊपर जो चार भेद बताये गये हैं, वे संक्षेप में इस प्रकार

हैं; अनिष्ट का संयोग होने पर, इष्ट का वियोग होने पर, रोगादि होने पर और इष्ट की पासि के लिए उत्पन्न चिन्ता या दुःख इन चार तरह के दुःख के होने पर पर्दिंडा से अथवा दुःख से मुक्त होने के लिए उत्पन्न वुरे विचारों में मग का एकाग्र होना आर्त-ध्यान है। आर्तध्यान के इन चारों भेदों के विषय में कुछ अधिक स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, जो नीचे किया जाता है।

अपनी हानि करने वाले, या जिस हानि को हमने अपनी हानि मान रखी है वह हानि करने वाले का संयोग होना अनिष्ट संयोग-यानी न चाहा हुआ मिलन—कहाता है। अपना या अपने स्वजन का शरीर धन आदि नष्ट करने वाले-विष; अभि शस्त्र, हित्त-पशु, दुष्ट या दैत्यादि भयंकर प्राणियों का संयोग हो जाना मिल जाना अनिष्ट संयोग है, थोड़े मे हानि करने वाले के पंजे मे फँस जाना अनिष्ट संयोग है। इस तरह से अनिष्ट संयोग से उत्पन्न दूःख के कारण, अथवा ऐसे अनिष्ट संयोग से छुटकारा पाने के लिये मन मे जो वुरे तथा दुःख भरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों में मन का तल्लीनि होना, आर्तध्यान का पहला भेद है।

जो अपने को प्रिय है उस राज्य धन, स्त्री, पुत्र प्रभृति कुटुम्बी जन का वियोग हो जाना यानी छूट जाना इष्ट वियोग है। ऐसा इष्ट वियोग का दुःख होने पर उस दुःख के कारण, अथवा इष्ट चीजों की रक्षा की चिन्ता से पैदा हुए दुःख के

कारण जो दुःख पूर्ण बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना आत्तर्ध्यान का दूसरा भेद है।

आत्तर्ध्यान का तीसरा भेद शारीरिक रोगों से होने वाले दुःख के कारण, अथवा ऐसे दुःख से सुकृति मिलने की चिन्ता के कारण उत्पन्न दुःख पूर्ण बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना है। और आत्तर्ध्यान का चौथा भेद है, विषय भोग के अप्राप्त पदार्थों के कारण दुःख या प्राप्ति की चिन्ता के कारण उत्पन्न दुःखपूर्ण बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना। उदाहरण के लिए, हाय ! मुझे वह चीज क्यों नहीं मिली ! मैं वह चीज कैसे प्राप्त करूँ ! आदि दुःख या चिन्ता से बुरे और दुःखपूर्ण विचार होना तथा उन विचारों में मन का लगाना, आत्तर्ध्यान का चौथा भेद है।

मतलब यह कि आनिष्ट के संयोग से, इष्ट के वियोग से रोग की प्राप्ति से और भोग की अभिलाषा से पीड़ित व्यक्ति पीड़ा से घबराकर जो बुरे विचार करता है, उन बुरे विचारों में मन का लगना आत्तर्ध्यान है। रोने चिल्हाने हाय-हाय करने आदि पीड़ा प्रतीक कार्यों का समावेश भी आत्तर्ध्यान में ही है। क्योंकि ये सब बाधा धाते मन के विचारों से ही उत्पन्न होती हैं। आत्तर्ध्यान का लक्षण थोड़े में बताने के लिए एक कवि कहता है—

राज्योपभोग शयनासन वाहनेषु ।

स्त्री गन्ध माल्य वर रत्न विभूषणेषु ॥

अत्यामिलाप मिति मात्र सुपैति मोहाद् ।

ध्यानंतदांतं मिति तत्प्रदन्ति तज्ज्ञाः ॥

अर्थात्—राज्योपभोग, शैया, आसन, वाहन, स्त्री, गन्ध, माला, रत्न, आभूषणआदि की अत्यन्त अभिलाषा अथवा इन पर अत्यन्त मोह होने के कारण जो ध्यान होता है, ज्ञानी लोग उस ध्यान को आर्तध्यान कहते हैं ।

अपध्यान का दूसरा भेद रौद्रध्यान है । स्वार्थ अथवा क्रोध मोह, लोभ, भय आदि के बर्ण होकर दूसरे की हानि के लिए उत्सन्न विचारों में मन का एकाग्र होना रौद्रध्यान है । रौद्र का अर्थ है भयङ्कर । जो दूसरे के लिए भयङ्कर है ऐसे विचार में एकाग्र होना रौद्रध्यान है ।

शास्त्रकारों ने रौद्रध्यान के भी “हिंसानुबन्धी, मोसानुबन्धी, तोणणुबन्धी और सारक्षणाणुबन्धी” ये चार भेद किये हैं । अपेनाया दूसरे के द्वारा मारे, कूटे, बांधे या दूसरी तरह से कष्ट पाते हुए व्यक्ति को देख कर या उसका कर्त्त्व अथवा आत्मनाद सुनकर प्रसन्न होना, अथवा अमुक प्राणी को किस तरह मारना, बांधना या यह काम किसके द्वारा कराना चाहिए, यह काम करने में कौन चतुर है, इस काम को कौन शर्म कर सकता है आदि विषयक भयङ्कर विचारों में मन को लगाना हिंसानुबन्धी नामक रौद्रध्यान का पहला भेद है ।

रौद्रध्यान का दूसरा भेद मोसाणुबन्धी यानी मृषानुबन्धी है। भूठ को सफल बनाने, सच्ची बात को भूठी और भूठी को सच्ची ठहराने के उपाय विचारने में, अपना स्वार्थ सधाने, अनुचित लोगों की भावुकता या उदारता का अनुचित लाभ उठाने के और लोगों को अपने प्रभाव में लाने के लिये कोई भूठा प्रपञ्च रचने, भूठे शास्त्र आदि बनाने का उपाय सोचने में मन को एकाग्र करना मृषानुबन्धी रौद्रध्यान है।

चोरी, डकेती अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य के लिए, पर धन, परदारा, आदि का हरण करने के विचार में तत्त्वीन होना, उपाय सोचना, ऐसे कार्यों में हर्ष मानना, यह स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है, जो रौद्रध्यान का तीसरा भेद है।

अपने को जो वस्तु ग्रास है उसकी रक्षा के लिए स्त्री, भूमि, धन या सुख के अन्य साधनों को दूसरे से बचाने के लिए, कोई उन्हें छीन न सके या उनमें भाग न करा सके, 'इस सम्बन्धी अपना मार्ग निष्करणक करने के लिए और ऐसी सामग्री पर अपना आधिकार बनाये रखने के लिए क्रूर विचारों में मन का एकाग्र होना' यह संरक्षणानुबन्धी नाम का रौद्रध्यान है जो रौद्रध्यान का चौथा भेद है।

रौद्रध्यान के ये चार भेद हैं। संक्षेप में रौद्रध्यान किसे कहते हैं यह बताने के लिए एक कथि कहता है—

सं छेदनैदेमन ताडुन तापनैश्च ।

चन्द्रि प्रहार दमनैश्च विकृन्तनैश्च ॥

यश्येह राग मुपयाति न चानुकम्पा ।

ध्यानं तु रोद्भिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥

अर्थात्—जिन में क्रूरता भरी हुई हैं, जिनमें अनुकम्पा नहीं है किन्तु जो दूसरे के लिए भयझर है, दूसरे प्राणी को छेदने, भेदने, पीटने, मारने तपाने, वाघने, बिगड़ने आदि की जिनमें प्रधानता है, ऐसे विचारों में मन के तल्लीन होने को जानी लोग रोद्ध्यान कहते हैं । *

* वर्तमान समय में अधिकाश मनुष्यों ने नैतिक उद्योग-त्याग कर सहे फाटके को ही अपना व्यवसाय बना रखा है, और यह करके भी, जो नैतिक उद्योग धन्धा करने वाले हैं उन्हें तो पापी, हिसक आदि कहते हैं, तथा स्वयं को धर्मी एवं अहिसक मानते हैं । लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा नहीं मानते, किन्तु इस तरह के अहिसक को वे भाव हिसक कहते हैं । उनकी दींग में कायिक पाप की अपेक्षा मानसिक पाप बहुत बड़ा है । उनका कथन है कि—

मन एव मनुप्याणां कारणं चन्द्र मोक्षयोः ।

जिन जीवों के मन नहीं है, वे न तो अधिक उक्त ही हो सकते हैं न अधिक अवनत ही । इसके विरुद्ध जिन जीवों को मन प्राप्त है वे जीव उन्नति करें तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं और अवनत हों तो सातवें नरक तक में जा सकते हैं । इसलिए शावक को अपना मन प्रशस्त आन में ही लगाना चाहिए ।

जपर जिन आत्माओं और रोद्ध्यान का स्वप दत्ताया है, वे अपध्यान में हैं, जो अनर्थदण्ड का पहला भेद है । इस तरह

का अपध्यान जो व्यर्थ ही होता है, किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है, उसकी गणना अनर्थदरण्ड में की गई है ; निरथक अपध्यान करने से जो अनर्थदरण्ड होता है, वह अपध्यानाचारित अनर्थदरण्ड है । अपध्यानाचारित अनर्थदरण्ड में वही अपध्यान माना गया है, जो निष्कारण निष्प्रयोजन और अज्ञानवश किया जावे । जो सकारण और सप्रयोजन है, वह अपध्यान अर्थदरण्ड में है ।

अनर्थदरण्ड का दूसरा भेद प्रमादाचारित अनर्थ दरण्ड है । शास्त्रकारों ने प्रमाद के पाँच भेद किये हैं । आत्मा संसार में क्यों रुलता है, यह बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

मञ्जुः विसय कसाया, निदा विकहाय पंचमी भाणिया ।

ए ए पंच पमाया, जीवा पद्धति संसारे ॥

अर्थात्—मद, विषय, कषाय निदा और विकथा इन पाच प्रमादों का सेवन करके जीव इस संसार-समुद्र में गिरता है ।

इस प्रकार प्रमाद के पाँच भेद कहे गये हैं । नीचे इन पाँचों भेदों का पृथक् पृथक् स्वरूप बताया जाता है ।

१ मदः—मद शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अहंकार और दूसरा मदिरा (शराब) । अहंकार भी उन्मत्तता देता है

उन्मत्ति करें तो मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं और अवनत हों तो सातवें नरक तक में जा सकते हैं । इसलिए श्रावक को अपना मन प्रशस्त ध्यान में ही लगाना चाहिए ।

और सदिरा भी। मद, प्रमाद का मुख्य उत्पादक और आत्मा को पतित करने वाला है।

२ विषयः—पाँच इन्द्रियों के २३ विषय हैं, जिनमें फँसकर आत्मा अपने आपको भूल जाता है। जिसकी इन्द्रियाँ विषयासक्त हो जाती हैं, वह व्यक्ति अपने प्राणों को भी जोखिम में डाल देता है।

३ कषायः—कोधादि कषाय का प्रकोप होने पर आत्मा बेभान हो जाता है अपने आपे में नहीं रहता।

४ निद्रा—निद्रा भी आत्मा की सावधानी का अपहरण करती है! निद्राधीन लोगों को अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है।

५ विकथा—जिनके कहने सुनने से कोई लाभ नहीं, उन वातों की गणना विकथा में है। विकथा आत्मा के गुणों का नाश करने वाली होती है।

ये पाँच प्रमाद अनर्थदरण्ड में हैं। संसार में रहनेवाला व्यक्ति प्रमाद का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। इसलिए प्रमाद के भी सकारण और अकारण भेद करके कहा गया है, कि सकारण प्रमाद तो अर्थदरण्ड में है और निष्कारण प्रमाद अनर्थदरण्ड में है।

अनर्थदण्ड का तीसरा भेद हिंसप्याणे यानी हिंसा में सहायक होना है टीकाकार कहते हैं—

हिंसा हेतुत्वादायुधानल विषादयो हिंसोच्यते तेषां प्रदानम्
अन्यस्मै क्रोधाभिभूताय अनाभिभूताय प्रदानं परेषां समर्पणम् ।

अर्थात्—जिससे हिंसा होती है, उन अस्त्र, शस्त्र, आग, विष आदि हिंसा के साधनों को—हिंसा के उपकरणों को—क्रोध से भरे हुए अथवा क्रोध नहीं है फिर भी जो अनाभिज्ञ त्रै उसके हाथों में दे देना, हिंसप्याणे या हिंसा में सहायक होना है ।

यद्यपि इस तीसरे भेद का रूप ऐसा है, फिर भी इसमें अर्थ अनर्थ का भेद किया गया है, और अर्थ से ऐसा करना अर्थदण्ड में तथा निष्कारण हीं ऐसा करना अनर्थदण्ड में माना गया है । वर्तमान कानून के अनुसार भी क्रोध से भरे हुए उत्तेजित आदमी को, अथवा जो क्रोध से भरा हुआ न होने पर भी अनाभिज्ञ है उसको शस्त्र, विष, आगि आदि देना अपराध माना गया है ।

अनर्थदण्ड का चौथा भेद 'पापकर्मोवएसे' यानी पापकर्म का उपदेश देना है । जिस उपदेश के कारण पापकर्म में प्रवृत्ति हो, उपदेश सुननेवाला पापकर्म करने लगे, वैसा उपदेश देना अनर्थ दण्ड है ।

बहुत लोगों की यह आदत रहती है, कि वे दूसरे को पापकर्म करने के लिए उपदेश देते रहते हैं । बकरा मारो, पशु-बलि करो, चोरी करो राज्यद्रोह करो या रष्ट्रोत्थान में वाधक

बनो आदि उपदेश देना अनर्थदरण्ड का चौथा भेद है।

अनर्थदरण्ड के जो चार भेद बताये गये हैं, उन चारों को समझ कर श्रावक के लिए अनर्थदरण्ड का सर्वथा त्याग करना ही उचित है। इसके लिए आत्मा को सावधान रखने, एवं प्रत्येक कार्य के विषय में विवेक करने यानी विचार करने की आवश्यकता है। जो प्रत्येक कार्य के विषय में अर्थ अनर्थ का विवेक करता है और निरर्थक कामों से बचता है, वही अनर्थदरण्ड के पाप से बचा रह सकता है। अनर्थदरण्ड द्रव्य से तो प्राणी, भूत, जीव, सत्त्व का विनाश करता है और भाव से आत्मा की हानि करता है। व्यवहार में दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना या दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाने का विचार करना, निश्चय में अपने आत्मा की ही हिंसा है। इसलिए श्रावकों को अनर्थदरण्ड का त्याग करना चाहिए।

कोई कह सकता है, कि दरण्ड तो सर्वथा त्याज्य होना चाहिए, फिर अर्थदरण्ड और अनर्थदरण्ड ये भेद करके अनर्थ-दरण्ड ही त्यागने का क्यों कहा गया? दरण्डमात्र त्यागने का क्यों नहीं कहा गया? इस कथन का उत्तर यह है, कि वास्तव में है तो दरण्डमात्र चुरा और त्याज्य, लेकिन गृहस्थों के लिए दरण्ड का सर्वथा त्याग सम्भव नहीं। साधु तो दरण्डमात्र का त्याग कर सकते हैं, परन्तु गृहस्थ दरण्ड मात्र का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए गृहस्थों के वास्ते दरण्ड के दो भेद किये गये हैं और,


कहा गया है कि गृहस्थ अनर्थदण्ड का त्याग करे । गृहस्थ, अर्थदण्ड का त्याग नहीं कर सकता । वह जितना हो सके उतना अर्थ दण्ड से बच तो अवश्य सकता है, लेकिन अनर्थदण्ड की तरह अर्थदण्ड का भी सर्वथा त्याग करना उसके लिए सम्भव नहीं हो सकता । बल्कि यदि कोई गृहस्थ अर्थदण्ड का सर्वथा त्याग करेगा, तो बहुत संभव है कि वह अर्थदण्ड के बदले अनर्थदण्ड का पाप करने में पड़ जावेगा । क्योंकि उसकी आवश्यकताएँ ही ऐसी है, वह ऐसे प्रपञ्च में उलझा हुआ है कि जिसके कारण दण्ड के बिना उसका काम नहीं चल सकता । उदाहरण के लिए एक गृहस्थ न्याय पूर्वक द्रव्योपार्जन करता है और आजीविका चलाता है । इस कार्य में उससे अर्थ दण्ड तो होता ही है । अब यदि वह अर्थ दण्ड से बचने के लिए न्याय पूर्वक कीजानेवाली आजीविका का त्याग कर देता है तो उस दशा में वह भूखों मरने से तो रहा ! फिर तो उसके लिए चोरी, छक्कैती ठगाई अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य करना आवश्यक हो जाता है, और चोरी अथवा चोरी की ही तरह के दूसरे कार्य करने पर मूल्य ब्रत की भी घात होगी और अर्थदण्ड के स्थान पर अनर्थ दण्ड होगा । इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी अर्थ दण्ड सर्वथा त्यागने का प्रयत्न करना अपने को अनर्थदण्ड में डालना है । ज्ञानियों ने इस बात को दृष्टि में रख कर ही गृहस्थों के लिए अनर्थदण्ड सर्वथा त्यागने और अर्थदण्ड से

यथा शक्ति बचने का विधान किया है। गृहस्थ अर्थदरड सर्वथा नहीं त्याग सकता, इसीलिए उनने अर्थदरड त्यागने का नहीं कहा। हाँ किसी समय विशेष के लिए तो यह सम्भव है, इकि गृहस्थ अर्थदरड से भी बच सके, जैसे कि सामायिक पौष्टि आदि त्रतों के समय अर्थदरड सर्वथा त्यागा जाता है, लेकिन जीवन भर के लिए अर्थदरड का सर्वथा त्याग करना गृहस्थ के लिए सम्भव नहीं है।

आज कल बहुत से लोग गृहस्थ श्रावक को अर्थदरड का विना सनझे या समझाये त्याग करते हैं। परिणाम यह होता है, कि 'लेने गई पूत और खो आई पति' कहावत के अनुसार अर्थ दरड के बदले अनर्थदरड गले पड़ जाता है। उदाहरण के लिए यादि अर्थदरड से बचने के बास्ते स्वास्थ्य रक्षक कार्यों की उपेक्षा की जावेगी। उन्हे त्याग दिया जावेगा, तो शरीर में रोग होने पर उन अष्ट दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, जिनके सेवन से अनर्थदरड होता है। अथवा अर्थदरड से बचने के लिए सब लोग कृषि करना त्यागदे, जिससे ससार का काम चलता है वह अन्न अर्थदरड से बचने के नाम पर कोई उत्पन्न ही न करें, तो क्या काम चल सकता है? क्या उस दशा में भूसों मरते हुए लोग, अनर्थदरड का सेवन न करेंगे और भयंकर पाप में न पड़ेंगे? खेतों आदि करने में अर्थदरड ते. अवश्य होता है, लेकिन यह अर्थदरड अनर्थदरड से बचाने वाला है।

इस अर्थ दण्ड के बिना काम नहीं चल सकता। खेती करने वाला स्वयं भी अनर्थ दण्ड से बचता है, दूसरों को अनर्थ दण्ड से बचाने रूप परोपकार भी करता है और यदि वह विवेक से काम ले, तो खेती करता हुआ पुरुष भी बांध सकता है।

मतलब यह कि, गृहस्थों से अर्थदण्ड का त्याग कराना, उन्हें अनर्थदण्ड में डालना है। इस बात को दृष्टि में रख कर ही शास्त्रकारों ने गृहस्थों पर अर्थदण्ड त्यागने का भार न डाल अनर्थदण्ड त्यागने का ही भार डाला है और इसी से इस व्रत का नाम अनर्थदण्ड विरमण व्रत है जिसका सब जीवों के लिये अंगीकार करने का विधान है।



अनर्थ-दण्ड विमण व्रत के अतिचार

शास्त्रकारों ने अनर्थदण्ड विमण व्रत के पाँच अतिचार बताये हैं। वे कहते हैं—

अनत्थादण्ड वेरमणस्स समणेवासगाणं पञ्च श्राव्यारा
जाणीयव्वा न समायरियव्वा तं जहा—कन्दप्पे, कुकुड़िए, मोहरिए,
संजुत्ताहिगरणे, उभोग परिभोगाइरि ते ।

अर्थात्—अनर्थदण्ड विमण व्रत के पाच अतिचार हैं, जो जनने योग्य हैं परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे पाच अतिचार इस प्रकार हैं— कन्दप्पे, कौकुच्च, मौख्य, संयुक्ताधिकरण, उपभोग परिभोग रति ।

१ पहला अतिचार कन्दप्पे है। काम वासना प्रबल करने वाले और मोह उत्पन्न करनेवाले शब्दों का हास्य या च्यड़ू में दूसरे के लिए उपयोग करना कन्दप्पे नाम का पहला अतिचार है।* (सरल चित्त से हास्योत्पादक शब्दों का सहज भगोग अतिचार में नहीं है ।)

* काम वासना प्रबल करने वाले या मोह उत्पन्न करने वाले एवं दूसरा लेन्वनकला द्वारा प्रयोग करना भी इसी अतिचार में है ।

२ दूसरा आतिचार कौतुक्य है। आँख, नाक, मुँह भृकुटि आदि अपने अंगों को विकृत बनाकर भॉड़ या विदूषक की तरह लोगों को हँसाना, यह कौतुक्य नाम का दूसरा आतिचार है। सभ्य लोगों के लिए ऐसा करना, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अनुचित है; क्योंकि ये कार्य प्रतिष्ठा का नाश करनेवाले होते हैं।

३ तीसरा आतिचार मौख्य है। निष्कारण ही आधिक बोलना, निष्प्रयोजन और अनगति बातें कहना, थोड़ी बात से से काम चल सकने पर भी आधिक बात बोलना, यह मौख्य नाम का तीसरा आतिचार है।

४ चौथा आतिचार संयुक्ताधिकरण है। कूटने, पांसने और गृहकार्य के दूसरे साधन—जैसे ऊखल, मूसल, चक्की, झाड़, सूप, सिला लोढ़ी आदि वस्तुओं का आधिक और निष्प्रयोजन संप्रह रखना संयुक्ताधिकरण नाम का चौथा आतिचार है।

५ पाँचवाँ आतिचार उपभोग परिभोगइरत्ते है। उपभोग परिभोग परिमाणत श्रीकार करते हुए जो पदार्थ मर्यादा में रखे गये हैं उनमें अत्यधिक आसक्त रहना, उनमें आनन्द मान कर उनका बार बार उपयोग करना, उनका उपयोग जविन निवाहि के लिए नहीं किन्तु स्वाद या आनन्द के लिए करना उपभोग परिभोग अति रति है। उदाहरण के लिए पेट भरा होने पर भी स्वाद के लिए खाना, अथवा आवश्यकता न होने पर भी

शौक के लिए बस्तादि का धारण करना या उन्हें बार बार बदलना, अथवा आनन्द के लिए अनावश्यक ही बार बार स्नान करना आदि उपभोग परिभोगइरित्ते हैं।

श्रावकों को इन पाँचों अंतिचार का स्वरूप समझ कर इनसे बचते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनका व्रत निर्मल रहेगा और वे आत्मा का कल्याण कर सकेंगे।

इन तीन गुणवत्तों का विस्तार जितना भी किया जावे, हो सकता है। सारे संसार की समालोचना इन व्रतों के वर्णन में समावेश हो सकती है—जो महाज्ञानी लोग ही कर सकते हैं। संक्षेप में ही हमने स्वरूप समझाने की चेष्टा की है। आशा है सुझजन इससे तत्त्वलाभ प्राप्त करके आत्मोत्थान के लिये प्रवृत होंगे। इत्यलम् ।



जवाहिर साहित्य का प्राप्ति स्थान

श्री जैन हितेच्छु श्रावक मण्डल रत्नाम ।

श्री जैन जवाहर मण्डल ब्यावर ।

श्री जवाहर साहित्य समिति भीनासर ।

श्री रजोहरण वस्त्र पात्र भंडार अम्बाला ।

श्री सेठिया पारमार्थिक संस्था बीकानेर ।